INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

Ministry of Shipping, Government of India

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार

"राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का क्षमता संवर्धन"

हल्दिया और वाराणसी के मध्य

(जल मार्ग विकास परियोजना)

जलमार्ग विकास परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति

15 अक्तूबर 2016

हिन्दी और अंग्रेजी पाठ के किसी भी अंश में किसी तरह की विसंगति आने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

विषय सूची

1. **पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा** 6
   - 1.1. **परिचय और परियोजना का वर्णन** 6
   - 1.2. **परियोजना के अवयव और भूमि अधिग्रहण की गुंजाइश** : 7
     - 1.2.1. *वाराणसी* – 7
     - 1.2.2. *साहेबगंज* – 7
     - 1.2.3. *हल्दिया* 8
     - 1.2.4. *फरक्का* 8
   - 1.3. **परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप** : 8
   - 1.4. **हानियों के प्रकार** : 9
   - 1.5. **महिला विकास कार्य योजना का सार-संक्षेप** 10
   - 1.5.1 **भिन्न लैंगिक डाटा** 11
   - 1.5.2 **वृत्तिक या पेशेगत ढांचा** 11
     - 1.5.3 **महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप** 12
   - 2.1. **आरपीएफ** RPF **(पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा) का उद्देश्य** 14
   - 2.2. **एसआईए (**SIA**) और आरएपी (**RAP**) की तैयारी** 14
2. **कानूनी रूपरेखा** 16
   - 3.1. **प्रयोज्य विधि-विधान** 16
     - 3.1.1. **विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां** 19
   - 3.2. **परिभाषाएं और विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड** 35
4. **परियोजना के लिए अपनायी गयी भूमि अधिग्रहण प्रकिया** 38
   - 4.1. **भूमि अधिग्रहण तथा अन्य अचल संपत्तियों के लिए रूपरेखा** 38
   - 4.2. **एलए (**LA**) और आरऐंडआर (**R&R**) के लिए प्रक्रिया प्रवाह** 39
     - 4.2.1. *आईडब्ल्यूएआई द्वारा भूमि की आवश्यकता* 39
     - 4.2.2. *आरऐंडआर (*R&R*) के लिए 'प्रशासक' की नियुक्ति* : 39
     - 4.2.3. *अधिसूचना, घोषणा और अवार्ड की तैयारी* : 39
     - 4.2.4. *परियोजना प्रभावित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की पद्धति* 39
5. **क्रियान्वयन प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं** 41
   - 5.1. **जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ** DLAO) 41
   - 5.2. **सामाजिक विकास विशेषज्ञ** 41
   - 5.3. **प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकारी** 41
   - 5.4. **पीआईयू (**PIU**) में सामाजिक अधिकारी** 42
   - 5.5. **आरएपी (**RAP**) क्रियान्वयन टीम** 42
   - 5.6. **ठेकेदार** 43
   - 5.7. **तकनीकी परिवीक्षण सलाहकार** 43

6. **शिकायत निवारण तंत्र** 45
6.1. **सीपीजीआरएएम** (CPGRAM) **पर शिकायत दर्ज करना** : 45
6.2. **शिकायत पर कार्यवाही की प्रक्रिया** : 45
6.3. **आईडब्ल्यूएआई (**IWAI**) में शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी** : 45
6.4. **परियोजना संबंधी शिकायतों का निपटारा** : 46
6.5. **अ-समाधान की स्थिति में** : 46
6.6. **समय सीमाएं** : 46
6.7. **वर्तमान प्रणाली का विस्तार और उसे शिकायतों के फोन आधारित रजिस्ट्रेशन से जोड़ना** : 46
6.8. **टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का प्रक्रिया प्रवाह** 46
7. **सिविल कार्यों को आरऐंडआर (**R&R**) के साथ मिलाना** 50
8. **निगरानी व्यवस्थाएं** 51
8.1. **आंतरिक निगरानी** 51
9. **आरऐंडआर (**R&R**) क्रियान्वयन की लागत और निधियन व्यवस्थाएं** 55
10. **नागरिक विनियाजन तंत्र** 58
10.1. **फीडबैक या प्रतिपुष्टि तंत्र** 58
10.2. **परामर्श के लिए योजना** 58

<u>सारणी सूची</u>

सारणी 1.1 : **परियोजना के साथ महिला पीएपी का शैक्षिक स्तर** 11
सारणी 1.2 : **महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप** 12
सारणी 3.1 : **प्रमुख सामाजिक विनियम और विधि-विधान** 16
सारणी 3.2 : **विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां** 19
सारणी 3.3 : **अस्वैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक ओपी 4.2 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 का तुलनात्मक विश्लेषण** 20
सारणी 3.4 : **पात्रता मैट्रिक्स** 30
सारणी 7.1 पुनर्स्थापन योजना का नमूना कार्यक्रम 50
सारणी 8.1 : **आंतरिक निगरानी के लिए रूपरेखा** 52

<u>चित्र सूची</u>

चित्र 5.1 : **आरएपी के क्रियान्वयन के लिए संगठन चार्ट** 44

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक – A : वाराणसी, साहेबगंज, हल्दिया और फरक्का के डिजाइन 62

अनुलग्नक - B : आरएफटीसीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची..... 66

संक्षिप्ताक्षर	
EA ईए	EXECUTING AGENCY कार्यपालक एजेंसी
EIA ईआए	ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT पर्यावरण प्रभाव आकलन
EMP ईएमपी	ENVIRONMENT MITIGATION PLAN पर्यावरण उपशमन योजना
ESMF ईएसएमएफ	ENVIRONMENT AND SOCIAL MITIGATION FRAMEWORK पर्यावरण और सामाजिक उपशमन रूपरेखा
FGD एफजीडी	FOCUS GROUP DISCUSSION केंद्रित समूह चर्चा
GOI जीओआई	GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
GoJ जीओजे	GOVERNMENT OF Jharkhand झारखंड सरकार
IA आईए	IMPLEMENTATION AGENCY क्रियान्वयन एजेंसी
IWAI आईडब्ल्यूएआई	INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकारण
IWT आईडब्ल्यूटी	INLAND WATER TRANSPORT अंतर्देशीय जल यातायात
KII केआईआई	KEY INFORMANT INTERVIEW मुख्य सूचनादाता का साक्षात्कार
NGO एनजीओ	NON GOVERNMENT ORGANISATION गैर सरकारी संगठन
PAF पीएएफ	PROJECT AFFECTED FAMILIES परियोजना प्रभावित परिवार
PAP पीएपी	PROJECT AFFECTED PERSON परियोजना प्रभावित व्यक्ति
PAH पीएएच	PROJECT AFFECTED HOUSEHOLD परियोजना प्रभावित घर-परिवार
PCM पीसीएम	PUBLIC CONSULTATION MEETING जन परामर्श बैठक
RFCTLARRA 2013 आरएफटीसीएलएआरआर 2013	RIGHT TO FAIR COMPENSATION &TRANSPERENCY IN LAND ACQUISITION AND REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन में क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
RPF आरपीएफ	RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा
RAP आरएपी	REHABILITATION ACTION PLAN पुनर्वास कार्य योजना

संक्षिप्ताक्षर	
SMP एसएमपी	SOCIAL MITIGATION PLAN सामाजिक उपशमन योजना

1. पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा

1.1. परिचय और परियोजना का वर्णन

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी से हल्दिया तक) पर नौवहन के क्षमता संवर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। प्राथमिक रूप से प्रस्तावित क्षमता संवर्धन में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास अर्थात यथोचित माल की प्रबंध क्षमता के साथ नदी टर्मिनल या अंतिम स्थान और यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ने की सुविधा के लिए उपकरण; एक नौवहन लॉक या बांध, नौवहन सहायक उपकरणों का प्रावधान; नदी सूचना प्रणाली; रो-रो घाट; किनारों की सुरक्षा / ढलान की सुरक्षा; नदी प्रशिक्षण कार्य; दो माल लदान नौकाएं; अंतर्देशीय जहाज; राहत नौकाओं और सर्वे उपकरणों सहित सर्वे नौकाएं और तलमार्जन सुविधाएं शामिल हैं। मध्यावर्तनों के बीच छह आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से तीन टर्मिनलों और एक नौवहन लॉक या बांध के स्थलों की पहचान कर ली गई है।

आईडब्ल्यूएआई (IWAI) क्रियान्वयन एजेंसी (IA) है। उपलब्ध एलएडी (LAD) और माल की मांग के दृश्य पर विचार करते हुए आईडबल्यूएआई वर्तमान में चरण-1 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्दिया से वाराणसी के बीच के फैलाव पर ध्यान दे रहा है।

जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित मध्यावर्तनों की योजना बनायी गयी है जिसके लिए इस पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा का प्रयोग किया जा सकता है।

- जलमार्ग/चैनल में और टर्मिनल सुविधा पर एलएडी प्रदान करने के लिए तलमार्जन का रखरखाव।
- उन्नत नौवहन आधारभूत ढांचा और नौवहन सहायक सुविधाएं तथा उपकरण
  - 10 रो-रो घाटों तथा सवारी नौका घाटों का निर्माण। इन घाटों के स्थल की पहचान अभी की जानी है।
  - 6 टर्मिनलों का निर्माण : साहेबगंज, वाराणसी और हल्दिया में 3 टर्मिनलों के स्थलों की पहचान और योजना का काम पूरा कर लिया गया है। टर्मिनलों के विकास के लिए 2 और संभावित स्थलों की पहचान गाजीपुर और कालू घाट में की गई है। ये दो स्थल अंतिम रूप देने के लिए अब भी विचाराधीन हैं और अभिकल्पना या डिजाइन की योजना भी अभी आरंभिक चरण में है। एनडब्ल्यू-1 पर एक और टर्मिनल के स्थल की पहचान की जा रही है।
  - फरक्का, पश्चिम बंगाल में एक और नौवहन बांध या लॉक का निर्माण।
  - टो बार्जेज या खिंचाव नौकाओं, अंतर्देशीय जहाजों, राहत नौकाओं और सर्वे उपकरणों सहित सर्व जहाजों का प्रावधान। कम भारवाहक कार्गो का विकास।
  - दिन और रात के समय नौवहन सुविधा के लिए एनडब्ल्यू-1 के साथ-साथ सहायक नौवहन सुविधाओं का विकास।
- सभी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथ सक्षम नदी सूचना प्रणाली का विकास।
- महत्त्वपूर्ण स्थलों के लिए किनारों की सुरक्षा/ ढलान सुरक्षा और नदी प्रशिक्षण कार्यों का प्रावधान।
- परियोजना 6 शहरों (इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, हल्दिया, कोलकाता) में 18 स्थलों पर यात्री टर्मिनलों के विस्तृत डिजाइन तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी, जिनके लिए स्थलों की पहचान अभी की जानी है।

- परियोजना परिचालन चरण में जलयानों की संख्या और आवृत्ति में यथेष्ठ बढ़ोतरी करेगी जिसके कारण मछुआरों की आजीविका पर सीमित प्रभाव पड़ सकता है। आईडब्ल्यूएआई ने संवेदनशील स्थलों पर पर्यावरण और सामाजिक आकलन करने तथा यदि आवश्यक हो तो उपशमन योजनाएं तैयार करने के लिए केंद्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की सेवाएं ली हैं।

परियोजना में सड़कों और रेलमार्गों जैसे सतह यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ने के अवसरों के निर्माण और उन्नयन की संभावनाओं का भी ध्यान रखा गया है, ताकि जलमार्गों को विभिन्न सुसज्जित टर्मिनलों और घाटों के माध्यम से जोड़कर लॉजिस्टिक्स या संचालनतंत्र श्रृंखला की कुल क्षमता में वृद्धि की जा सके।

इसलिए चिह्नित स्थलों वाराणसी, साहेबगंज, हल्दिया और फरक्का के लिए समेकित आरएपी/एसएमपी (RAP/SMP) तैयारी की गयी हैं जिसके विवरण नीचे पैरा 1.2 से 1.3 में दिये गये हैं। अन्य उप-परियोजनाओं के लिए आरएपी/एसएमपी (RAP/SMP) अध्याय 2 में दी गयी योजना के अनुसार स्थलों की पहचान होने के बाद तैयार की जाएंगी।

1.2. परियोजना के अवयव और भूमि अधिग्रहण की गुंजाइश :

4 बड़ी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पहचान और नियोजन किया गया है जिनमें वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया में बहु-साधन या मल्टीमोडल टर्मिनल और फरक्का में नौवहन बांध या लॉक शामिल है। चिह्नित उप परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का सार-संक्षेप नीचे प्रस्तुत है :

1.2.1. *वाराणसी –*

वाराणसी में मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण के लिए कुल 7.001 हेक्टेयर की आवश्यकता है, जिसमें से 5.586 हेक्टेयर भूमि पहले से ही आईडब्ल्यूएआई के कब्जे में है और मोलभाव समझौतों के माध्यम से क्रय करने के लिए 1.415 हेक्टयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता का आकलन किया गया है। सुविधाओं के विकास का कार्य दो चरणों में हाथ में लिया जाएगा। चरण 1(ए) में अपतटीय सुविधाओं का विकास उस 5.586 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा जिसका अधिग्रहण 2010 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन किया था। चरण 1(बी) के अंतर्गत टर्मिनल को एनएच-7 के साथ सड़क संयोजकता या कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 1.415 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है।

1.2.2. *साहेबगंज –*

सड़क और रेल संयोजकता के साथ मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता 78.91 हेक्टेयर आंकी गई है। सुविधा का विकास दो चरणों में किया जाएगा। चरण-1 में टर्मिनल के निर्माण के लिए लगभग 23.98 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। टर्मिनल का विस्तार करने और सड़क संयोजकता प्रदान करने के लिए 54.93 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी, जिसे क्रमशः चरण-2 और चरण-1(बी) में हाथ में लेना प्रस्तावित है।

तथापि जिला प्रशासन, साहेबगंज ने टर्मिनल के लिए आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के तहत 45.20 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही आरंभ कर दी है। इसके अलावा 2.89 हेक्टेयर सरकारी भूमि भी आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्रभावित गांव	अधिग्रहीत की जाने वाली निजी भूमि	आरएफटीसीएलएआरआर 2013 की धारा 11(1)	आरएफटीसीएलएआरआर 2013 की धारा 19(1)

		के अनुसार अधिसूचना की तिथि	के अनुसार घोषणा की तिथि
समदानाला	40.49 हेक्टेयर	04.07.2015	29.10.2015
रामपुर	4.71 हेक्टेयर	08.07.2015	29.10.2015

1.2.3. *हल्दिया*

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने हल्दिया गोदी कॉम्प्लेक्स में 24.68 हेक्टेयर भूमि जून 2015 में आईडब्ल्यूएआई को 30 वर्ष की लीज पर आवंटित और हस्तांतरित कर दी है।

1.2.4. *फरक्का*

मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद और आईडब्ल्यूए द्वारा भूमि के हस्तांतरण के लिए 2.35 करोड़ रुपये जमा करवा दिए जाने के बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय ने फरक्का बांध परियोजना में 14.86 हेक्टेयर भूमि 2 मार्च 2016 को पोत परिवहन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है, जिसका अभिरक्षक या कस्टोडियन आईडब्ल्यूएआई है।

बाद की उपपरियोजनाओं के लिए आरएपी (RAP) स्थलों का निर्धारण करने के बाद तैयार किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद फरक्का के नए नौवहन बांध के लिए इसे अद्यतन भी किया जा सकता है।

1.3. परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप :

प्रत्येक उप-परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता और एसआईए की गुंजाइश तथा प्रभावों का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है :

उपपरियोजना का नाम	आवश्यक भूमि (हेक्टे)	मांगी गई निजी भूमि (हेक्टे)	सरकारी भूमि (हेक्ट)	एसआईए पूरा हो गया (हेक्टे)	विस्थापित परिवारों की संख्या (संरचनाएं गंवाने वाले)	परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या
मल्टीमोडल टर्मिनल वाराणसी चरण (1ए)	5.586	-	5.586	5.586	-	-	0
सड़क संयोजकता	1.415						
मल्टीमोडल टर्मिनल साहेबगंज चरण-1	23.997	45.02	2.89	48.09	235	275	1397
सड़क	3.5	*					

उपपरियोजना का नाम	आवश्यक भूमि (हेक्टे)	मांगी गई निजी भूमि (हेक्टे)	सरकारी भूमि (हेक्ट)	एसआईए पूरा हो गया (हेक्टे)	विस्थापित परिवारों की संख्या (संरचनाएं गंवाने वाले)	परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या
संयोजकता							
आरओबी	6.11	0**					
मल्टीमोडल टर्मिनल हल्दिया	24.68		24.68	24.68	-	-	0
फरक्का में नया नौवहन बांध या लॉक	14.86		14. 86	14.86	-	-	0
योग***	80.148	45.02	48.016	93.216****	235	275	1397

* भूमि के विवरणों और आवश्यकता का सत्यापन चल रहा है।

** डीपीआर परामर्शदाताओं के अनुसार आवश्यकता को अंतिम रूप देने का कार्य जारी।

*** संभावित है और अन्य हस्तक्षेपों के कारण परियोजना की अंतिम रूपरेखा के अनुसार बदल सकता है।

**** साहेबगंज और वाराणसी में सड़क संयोजकता, साहेबगंज में आरओबी और अतिरिक्त टर्मिनलों और रो-रो सुविधाओं के लिए एसआईए जमीन की आवश्यकता तथा स्थलों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पूरा किया जाएगा।

1.4. हानियों के प्रकार :

निजी भूमि की हानि

क्रम संख्या	भूमि का प्रकार	अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल निजी भूमि की प्रतिशतता
1.	बगीचों वाली भूमि	18.935 हेक्टे	41.79
2.	बंजर भूमि	6.879 हेक्टे	15.22
3.	संरचनाओं वाली भूमि	9.611 हेक्टे	21.26
4.	अ-सर्वेक्षित	9.821 हेक्टे	21.73

5.	योग	45.2 हेक्टे	100

संरचना की हानि

क्रम सं.	संरचनाओं का प्ररूप विज्ञान	संरचनाओं की संख्या
1.	आवासीय संरचनाएं	235
2.	साझा संपत्ति संसाधन	2
3.	सरकारी संरचनाएं	2
	योग	239

प्रभावित संवेदनशील कमजोर परिवार

प्रभावित क्षेत्र में रह रहे प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी से पता चलता है, जैसा कि सारणी 4.5 में प्रस्तुत किया गया है, कि कुल 235 प्रभावित परिवारों में से 206 (87.66%) अन्य पिछड़े वर्गों से, 20 (8.51%) अनुसूचित जाति से, 7 (2.98%) सामान्य श्रेणी से और 2 (0.85%) अनुसूचित जनजाति से हैं।

प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी

गांव	सामाजिक समूह					
	एसटी (पर्वतीय)	एसटी (मैदान)	एससी	ओबीसी	सामान्य	अन्य
सामदा नाला और रामपुर	0	2	20	206	7	0

स्रोत : मैदानी सर्वे

आरएफटीसीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की धारा 31 और दूसरी अनुसूची के अनुसार एससी (SC) और एसटी (ST) के लिए विशेष सहायता बजट में और जिला प्रशासन द्वारा तैयार आरऐंडआर (R&R) योजना में शामिल की गयी है। स्थान परिवर्तन के दौरान इन परिवारों को सहायता तथा आजीविका संवर्धन पर विशेष परामर्श प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

1.5. महिला विकास कार्य योजना का सार-संक्षेप

परियोजना से प्रभावित महिलाओं की कुल संख्या 642 है। प्रभावित क्षेत्र में 16 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। परियोजना के बारे में उनके बीच जागरूकता सुनिश्चित करने और परियोजना को लेकर उनकी चिंताओं को समझने और यदि उनकी कोई विशिष्ट जरूरतें हो जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता हो तो उन्हें जानने के लिए महिलाओं के साथ विशेष रूप से सलाह-मशविरा किया गया। आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई वैकल्पिक आवासीय सुविधा में महिलाओं को “संयुक्त स्वामित्व” अधिकार दिया

जायेगा। इसी के अनुसार, साहेबगंज की केंद्रित समूह चर्चाओं में महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। परियोजना प्रभावित परिवारों की महिलाओं को पुनर्वास कॉलोनी में समुदाय निर्माण गतिविधियां हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया और परामर्श दिया जाएगा। पुनर्वास के दौरान सहायता प्रदान करते समय इन महिला घर-परिवारों या डब्ल्यूएचएच (WHHs) की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। टर्मिनल स्थलों (विशेष रूप से साहेबगंज और वाराणसी में) के पास-पड़ोस के क्षेत्रों में समुदाय अवसंरचना पहलों जैसे शौचालयों और स्ट्रीट लाइटों के निर्माण पर आगे के सलाह-मशविरे में और बजटीय आवंटन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा। महिला विकास कार्य योजना में विभिन्न गतिविधियों के लिए बजट आरएपी/एसएमपी की लागत में शामिल किया गया है।

1.5.1 भिन्न लैंगिक डाटा

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने के लिए अलग किये गये लैंगिक डाटा लिए गए और उनके साथ अलग से परामर्श आयोजित किये गये।

जनसंख्या : परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या 1397 है जिनमें से 642 महिलाएं हैं जो कुल पीएपी की 45.96 प्रतिशत हैं।

साक्षरता : परियोजना प्रभावित परिवारों की साक्षरता दर 67.57 प्रतिशत है और महिला साक्षरता दर 62.15 है।

सारणी 1.1 महिला और पुरुष पीएपी की शिक्षा का स्तर दर्शाती है। बहुसंख्यक महिला पीएपी प्राथमिक स्कूल (कक्षा 5) तक पढ़ी हैं और उसके पश्चात एचएससी महिलाएं हैं।

सारणी 1.1 : परियोजना के साथ महिला पीएपी का शैक्षिक स्तर

शैक्षणिक स्थिति	महिला	%
निरक्षर	243	37.85
साक्षर कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	0	0
प्राथमिक तक	266	41.43
एचएससी तक	124	19.32
स्नातक या ग्रेजुएट	9	1.40
पेशेवर / तकनीकी	0	0
योग	**642**	**100**

1.5.2 वृत्तिक या पेशेगत ढांचा

कुल 642 महिलाओं में से केवल 8.9% (57) कामकाजी या कार्यरत समूह में आती हैं। शेष महिलाएं काम नहीं करतीं अर्थात 91.1% महिलाएं गैर-कार्यरत समूह में आती हैं। कार्यरत महिलाओं में से अधिसंख्यक खेतिहर मजदूर हैं।

आमदनी : कुल कार्यरत महिलाओं में से केवल 48 ने अपनी आय के बारे में बताया है। इनमें से 38 महिलाएं 5,000 रुपये से कम कमाती हैं और 10 महिलाएं 5,000 रुपये से 7,000 रुपये के बीच कमाती हैं।

1.5.3 महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप

महिला प्रधान घर-परिवारों जैसे कमजोर समूहों के ऊपर परियोजना के प्रभावों को समझने के लिए डाटा या आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। **सारणी 1.2** में महिला प्रधान घर-परिवारों के स्वरूप और इन घर-परिवारों पर परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.2 : महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप

			संख्या
1	आयु समूह	25-35	2
		35-45	3
		45-55	5
		55-65	4
		65 और उससे ऊपर	2
	योग		**16**
2	वैवाहिक स्थिति	विवाहित	2
		विधवा	14
	योग		**16**
3	शैक्षिक उपलब्धि	निरक्षर	13
		प्राथमिक	1
		माध्यमिक स्कूल	1
		सेकंडरी	1
		हायर सेकंडरी	0
	योग		**16**
4	कार्यरत होने की स्थिति	हां	7
		नहीं	9
	योग		**16**

			संख्या
6	आय (रुपये में)	< 5000	6
		5000-10000	1
		> 10000	0
		कोई आय नहीं	9
	योग		**16**
7	**गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल)**		14
	गरीबी की रेखा से ऊपर (एपीएल)		2
	योग		**16**
8	प्रभाव	आंशिक	0
		पूर्ण	16
	योग		**16**
9	प्रभाव का प्रकार	आवासीय	16
		व्यावसायिक	0
		खुला / खाली भूखंड	0
		पौधारोपण	0
	योग		**16**
10	हानि का प्रकार	भूमि	0
		वास भूमि और संरचना	16
		भूमि और आजीविका	0
		आजीविका और संरचना	0
	योग		**16**

आरएपी/एसएमपी (RAP/ SMP) में एक पृथक महिला विकास कार्य योजना शामिल की गयी है।

2. आरपीएफ (RPF) के उद्देश्य और सिद्धांत

2.1. आरपीएफ RPF (पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा) का उद्देश्य

इस नीति रूपरेखा का उद्देश्य पुनर्स्थापन के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है और इसी के अनुरूप उप-परियोजना पुनर्स्थापन कार्य योजना / सामाजिक प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा, जो अस्वैच्छिक पुनर्स्थापन पर विश्व बैंक की परिचालन नीति 4.2 और राष्ट्रीय विधि-विधानों, भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन और पुनर्वास में क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLAR&R) 2013 के अनुसार होंगी।

इसी के अनुसार, पुनर्स्थापन और क्षतिपूर्ति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों से संबंधित विधि-विधानों और विनियमों तथा प्रक्रियाओं का मानचित्रण करते हुए आरपीएफ तैयार की गयी है। आरपीएफ ये विवरण प्रदान करती है (क) परियोजना और उसके अंगों का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन की आवश्यकता है, (ख) स्थान परिवर्तन की आवश्यकता, (ग) अनुमानित जनसंख्या का विस्थापन और विस्थापित व्यक्तियों की संभावित श्रेणियां, (घ) प्रभावित और विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का पात्रता मानदंड, (ङ) वैधानिक रूपरेखा का विश्लेषण, (च) मूल्यांकन की पद्धति, (छ) लैंगिक तथा कमजोर समुदाय के लिए विशेष उपाय, (ज) परामर्श और भागीदारी का तंत्र, (झ) सांस्थानिक व्यवस्था, (ञ) क्रियान्वयन प्रक्रिया, (ट) पुनर्स्थापन कार्य को सिविल कार्यों से जोड़ना, (ठ) शिकायत निवारण तंत्र का वर्णन, और (ढ) नागरिकों का फीडबैक या प्रतिपुष्टि, और (ढ) निगरानी तथा सूचना तंत्र।

आरपीएफ पूरी परियोजना पर प्रयोज्य है। परियोजना हल्दिया और वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहनता में सुधार लाने में सहायता करती है, जिसके लिए अधिक मालवाहक नौकाओं के लिए सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सड़क और रेल से संयोजकता मांग और उपयोग बढ़ने के साथ-साथ चरणबद्ध ढंग से प्रदान की जाएगी। एक नौका मरम्मत सुविधा और नदी-पार ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए पांच रो-रो क्रॉसिंग का भी प्रस्ताव है। परियोजना 6 शहरों (इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, हल्दिया, कोलकाता) में 18 स्थलों पर आधुनिक यात्री नौका सेवा प्रणाली के लिए डिजाइन तैयार करने में भी सहायता देगी, जो अंततः चार सहभागी राज्यों द्वारा क्रियान्वित और संचालित की जाएंगी। परियोजना लगभग 40 किमी के संरक्षण कार्यों के निर्माण को भी सहायता देगी, जिनमें अस्थिर और कटाव-योग्य किनारों की सुरक्षा की जाएगी और तीखे घुमावों पर नदी किनारों को बनाए रखा जाएगा।

2.2. एसआईए (SIA) और आरएपी (RAP) की तैयारी

अभी तक चिह्नित की गयी 4 उप-परियोजनाओं के लिए आरएपी/एसएमपी (RAP/SMP) तैयार की गयी हैं। शेष बची हुई उप-परियोजनाओं के लिए स्थलों की पहचान करना और उन्हें अंतिम रूप देना बाकी है। आईडब्ल्यूएआई सामाजिक मुद्दों और हितधारकों और सामाजिक और आर्थिक रूप से साधनहीन समुदायों सहित सभी समुदायों की पहचान के लिए एक अध्ययन का कार्य सौंपेगी। यह आकलन एसआईए के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित स्थानीय जनसंख्या की पहचान करेगा और जनगणना सर्वे का कार्य हाथ में लिया जाएगा। संभावित निवेशों के प्रभावों और जोखिमों को सामाजिक सुरक्षा लैंगिक और नागरिकों के जुड़ावों के मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत होगी। अध्ययन का कार्य क्षेत्र विशेष रूप से निम्नानुसार होगा :

- परियोजना की अभिकल्पना, उद्देश्यों और क्रियान्वयन से जुड़े मामलों पर परियोजना के हितधारकों को सूचना देगी, सलाह लेगी और संवादों करेगी और उच्च सामाजिक जोखिमों से बचने या उन्हें कम से कम करने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं प्रदान करेगी;
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास सामाजिक विकास के मुद्दों की छानबीन करेगी और इसी के अनुसार ऐसी सामाजित सेवाओं की अभिकल्पना करेगी जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजना द्वारा प्रदान की जा सकती हों;
- धार्मिक संरचनाओं और साझा संपत्ति संसाधनों (जैसे वन, चरागाह) सहित सामुदायिक परिसंपत्तियों (जैसे स्कूल, सामुदायिक परिसंपत्तियां) की संभावित हानि की और स्थानीय जनसंख्या पर उनकी हानि के प्रभावों की पहचान करेगी;
- एचआईवी/एड्स की घटनाओं पर निर्माण श्रमिकों तथा अन्यों (सिविल कार्य तथा परियोजना के परिचालन दोनों के दौरान) के अंतर्वाह के प्रभाव का आकलन करेगी और उन पर नियंत्रण की रणनीतियां विकसित करेगी;
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित परियोजना के क्रियान्वयन के सामाजिक विकास पहलुओं को क्रियान्वित करने के लिए क्षमता संस्थाओं और तंत्रों का आकलन करेगी और क्षमता निर्माण के उपायों की अनुशंसा करेगी;
- सामाजिक विकास परिणामों का आकलन करने के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र का विकास करेगी; और
- लाभान्वितों के फीडबैक, सूचना के प्रसार तथा शिकायत प्रबंधन से संबंधित कार्य भी इसमें शामिल होंगे।

3. कानूनी रूपरेखा

3.1. प्रयोज्य विधि-विधान

आईए IA (क्रियान्वयन एंजेसी) ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित क्षतिपूर्ति का अधिकार तथा पारदर्शिता अधिनियम 2013; विश्व बैंक के ओपी 4.12 तथा विभिन्न आर ऐंड आर से जुड़े मुद्दों के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न शासकीय नियमों पर आधारित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति विकसित की है। यह प्रभावित लोगों को पुनः बसाने के लिए मानदंड निर्धारित करती है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मोटे तौर पर एक दृष्टिकोण तथा सांस्थानिक ढांचे की रूपरेखा प्रदान करती है। परियोजना की तैयारी और क्रियान्वयन को शासित करने वाले प्रमुख सामाजिक विनियम और विधि-विधान नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

सारणी 3.1 : प्रमुख सामाजिक विनियम और विधि-विधान

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम	1958	भारत में पाए गए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवशेषों का संरक्षण	यदि परियोजना स्थल अधिसूचित प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल से 300 मी. दूर अवस्थित हो	किसी भी उप परियोजना के लिए प्रयोज्य नहीं	पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार, इंडियन हेरिटेज सोसायटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ऐंड कल्चर हेरिटेज (INTACH).
भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013	2013	अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा; भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित आबादी का पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित सभी लोगों का आर्थिक पुनर्वास।	यदि क्रियान्वयन एजेंसी स्वामित्वधारियों से भूमि का अधिग्रहण करती है	हां। साहेबगंज, झारखंड में टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लागू होने योग्य है।	राजस्व विभाग। संबंधित राज्य सरकार और आईडब्ल्यूएआई/आईए (प्रक्रिया आरंभ करने, लागत की गणना करने, समयबद्ध भुगतान करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए - मांगकर्ता निकाय)

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
एलएआरआर अधिनियम 2013 के संबंध में झारखंड नियम (2015)	2015	झारखंड राज्य सरकार ने आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के आधार पर अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्यवाहियो के लिए विभिन्न नियम और प्रपत्र विनिर्दिष्ट करते हुए नियम अधिसूचित किए हैं।	झारखंड में भूमि अधिग्रहण के मामले में लागू	हां। साहेबगंज में टर्मिनल के लिए झारखंड में भूमि अधिग्रहण के मामले में लागू।	झारखंड का राजस्व विभाग
पंचायत राज अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम	1992	गतिविधि के स्वरूप तथा पंचायत को प्राप्त इससे संबंधित शक्ति की सीमा पर निर्भर करते हुए परियोजना के क्रियान्वयन की गतिविधियों के लिए पंचायत स्तर की संस्थाएं उत्तरदायी होंगी। यह अधिनियम ग्राम स्तर के कार्यों को विस्तार देकर और विकाय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देकर निर्णय लेने में पंचायत स्तर की संस्थाओं की भागीदारी को समर्थ बनाता है। अधिनियम में परियोजना की तैयारी और क्रियान्वयन के दौरान पंचायत राज संस्थाओं, विशेष रूप	पंचायत क्षेत्र में अवस्थित किसी भी उप परियोजना के लिए लागू	साहेबगंज, झारखंड के मामले में लागू	संबंधित गांवों की पंचायतें

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
		से ग्राम सभा/पंचायत की भागीदारी का प्रावधान किया गया है।			
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम	2006	यह अधिनियम वन कानूनों के कारण होने वाले अन्यायों को आंशिक रूप से दूर करते हुए पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। समुदाय तथा जनसामान्य वन तथा वन्यजीव संरक्षण में अपनी बात रख सके, इसके लिए नई शुरुआत करता है। यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अधिकारों या पात्रताओं तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। साथ ही यह भी निर्धारित करता है इस कानून के अंतर्गत अधिकारों का हस्तांतरण किन उद्देश्यों के लिए और किन परिस्थितियों के अधीन किया जा सकता है और ऐसा	यदि परियोजना आरक्षित तथा सुरक्षित वनों सहित रूढ़ वन भूमियों और साथ ही सामुदायिक वनों से भी गुजरती है	लागू होने योग्य नहीं	वन मंत्रालय/विभाग, जनजाति मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार और जनजाति कल्याण विभाग

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
		किस तरीके से किया जा सकता है। सड़कों के लिए हस्तांतरण ऐसा ही एक उद्देश्य है। विशिष्ट व्यक्तियों/ समूहों (व्यक्ति, परिवार, समुदाय) के लिए विशिष्ट कानूनी अधिकारों का विभिन्न शीर्षों जैसे स्वामित्व, उपयोगकर्ता अदि के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। परियोजना की अवधि के दौरान इनका ध्यान रखना होगा। यदि कोई भूमि हस्तांतरण शामिल हो तो इसके लिए अधिनियम में एक सीमा नियत की गई है और ग्राम सभा से इसकी स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही इस उद्देश्य से काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की सीमा की भी एक सीमा है।			

3.1.1. विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां

विकास परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम या समाप्त करने के लिए विश्व बैंक की पर्यावरणिक और सामाजिक सुरक्षा नीतियां हैं। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा नीतियां नीचे सारणी में दी गई हैं।

सारणी 3.2 : विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां

विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां	उद्देश्य	प्रयोज्यता	सुरक्षा आवश्यकताएं
ओपी/बीपी 4.12	अस्वैच्छिक पुनर्वास - इस नीति का उद्देश्य, जहां व्यवहार्य हो, वहां परियोजना की डिजाइन के सभी व्यवहार्य विकल्पों का दोहन करते हुए अस्वैच्छिक पुनर्वास से बचना या उसे कम से कम करना है। इसके अलावा इसका अभीष्ट विस्थापित लोगों के पहले के रहनसहन के मानदंडों में सुधार लाने में उनकी सहायता करना, पुनर्वास की योजना और क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, और प्रभावित लोगों के वैधानिक स्वामित्व की स्थिति पर ध्यान दिये बिना उन्हें सहायता प्रदान करना है।	कुछ निश्चित परियोजना गलियारों के लिए सीमित भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी जिसके परिणामस्वरूप : आश्रय की हानि या पुनर्स्थापना, संपत्तियों या संपत्तियों तक सुगमता की हानि, आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होगी।	समुदाय और परियोजना प्राधिकारियों के विचार-विमर्श से पुनर्वास योजना। पुनर्वास कार्य योजना तैयार की गई है।
ओपी/बीपी 4.11	सांस्कृतिक संपत्ति - इस नीति का उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्तियों, ऐतिहासिक, धार्मिक और अनूठी प्राकृतिक धरोहरों (जिनमें पूर्व के मानव वासियों द्वारा छोड़े गए अवशेष और अनूठी पर्यावरण विशेषताएं भी शामिल हैं) के परिरक्षण में और साथ ही बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में परिलक्षित सांस्कृतिक विशेषताओं के रक्षण तथा संवर्धन में सहायता प्रदान करना है।	यह नीति आईडब्ल्यूएआई के अधीन उप-परियोजनाओं के लिए उन क्षेत्रों में लागू हो सकती है जहां उप-परियोजनाओं में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों के दौरान सांस्कृतिक संपत्तियां, ऐतिहासिक, धार्मिक और अनूठी प्राकृतिक धरोहरें (जिनमें पूर्व के मानव वासियों द्वारा छोड़े गए अवशेष और अनूठी पर्यावरण विशेषताएं शामिल हैं) प्रभावित होती हों।	उपशमन योजनाएं तैयार करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।

स्रोत : विश्व बैंक परिचालन नीति या ऑपरेशनल पॉलिसी

सारणी 3.3 : अस्वैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक ओपी 4.2 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 का तुलनात्मक विश्लेषण

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
भूमि अधिग्रहण (LA) का अनुप्रयोग	वित्तपोषण के स्रोत पर ध्यान दिये बगैर परियोजना के उन सभी अवयवों पर लागू होती है जिनका परिणाम अस्वैच्छिक पुनर्वास के रूप में सामने आता है।	***धारा 2*** उन सभी परियोजनाओं पर लागू होती है जिनमें सरकार स्वयं अपने उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पीएसयू तथा सार्वजनिक उद्देश्य भी शामिल हैं; पीपीपी के लिए जिनमें भूमि का स्वामित्व सरकार में ही निहित रहता है; निजी कंपनियों के लिए, जहां 80% या पीपीपी के मामले में 70 % **भूमि स्वामियों**[1] ने सम्मति प्रदान कर दी है, जमीन अधिग्रहीत करती है।
वर्जन या बचने का सिद्धांत	जहां व्यवहार्य हो वहां परियोजना के डिजाइन में सभी व्यावहारिक विकल्पों का दोहन करते हुए अस्वैच्छिक पुनर्वास विस्थापन से बचा जाना चाहिए या उसे कम से कम रखा जाना चाहिए।	विकल्पों पर विचार करना होता है, क्योंकि अधिनियम अध्याय II, धारा # 4 (डी D) में कहता है, "अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक बिल्कुल न्यूनतम है"; और (ई) में कहता है कि वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।
अन्य परियोजनाओं के साथ संयोजन		ऐसा कोई प्रावधान नहीं अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के कारण विविध विस्थापन से वर्जन या बचने का उल्लेख करता है। आर ऐंड आर प्रावधानों में से कुछ को अन्य विकास योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि पुनर्स्थापन और आजीविका के विकल्पों को एक साथ जोड़ा जा सके।

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
आर ऐंड आर का अनुप्रयोग	उपर्युक्त के समान	उपरोक्त के अतिरिक्त, **धारा 2(3)** भूमि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निजी कंपनी द्वारा खरीदी गई हो या जब उसका भाग सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो आरऐंडआर के लिए अधिनियम में विस्तृत प्रक्रियाएं और प्रावधान हैं। अधिनियम के अंतर्गत आरऐंडआर की प्रक्रिया आरऐंडआर जनगणना के समय से आरंभ होगी और आरऐंडआर के आयुक्त तथा जहां प्रासंगिक हो वहां समिति की उचित देखरेख में आरऐंडआर अवार्ड किए जाने के साथ समाप्त होगी। आरऐंडआर से जुड़े सभी प्रावधान अनिवार्य हैं और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान इन्हें औपचारिक रूप से लागू किया जाना है। जब तक आरऐंडआर प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तब तक अधिग्रहीत भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सकता।
प्रभावित क्षेत्र	अस्वैच्छिक भूमि का लेना जिसके परिणामस्वरूप आश्रय की हानि, संपत्तियों या संपत्तियों तक पहुंच की हानि, आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होती हो	***धारा 3(बी)***: 'अधिग्रहण' के लिए अधिसूचित क्षेत्र
परिवार		***धारा 3 (एम)*** व्यक्ति, उसका या उसकी जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे, आश्रित अवयस्क भाई और बहन को शामिल करती है। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
पात्रता के लिए प्रभावित परिवार	सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोग फिर चाहे उनका जमीन पर औपचारिक कानूनी अधिकार हो या औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं हो।	***धारा 3 (a)***: जिनकी जमीन और अचल संपत्तियां अधिग्रहीत की गई हैं। ***(b)* और *(e)***: प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार जैसे मजदूर, किरायेदार, वन और जल निकायों पर आश्रित आदि जिनका आजीविका का प्राथमिक स्रोत अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रहा हो ***(c)*** अनुसूचित जनजातियां और अन्य वन वासी जिनके अधिकारों को वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ***(f)*** परिवार जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत जमीन दी गई हो ***(g)*** शहरी क्षेत्र में किसी भी ऐसी जमीन पर रह रहे परिवार जो अधिग्रहीत की जाएगी या अधिग्रहण से जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत प्रभावित होता है।
कट-ऑफ या विभाजक तिथि	वह तिथि जो ऋण लेने वाले द्वारा तय की गई है और बैंक को स्वीकार्य है। व्यवहार में यह जनगणना की तिथि है।	***धारा 3 c (ii), (iv) (vi)***: "भूमि के अधिग्रहण" के पहले उससे पूर्व के 3 या अधिक सालों से रह रहे परिवार।
अध्याय II का लागू न होना	सभी निवेशों के लिए एकल आधारित एसआईए (SIA)	***धारा 6(2):*** ऐसी सिंचाई योजनाएं जिनमें अन्य कानूनों के अंतर्गत ईआईए (EIA) आवश्यक है, उनमें एसआईए (SIA) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं। अत्यावश्यक प्रावधानों के मामलों में सरकार एसआईए की छूट प्रदान कर सकती है।
विचार-विमर्श - तैयारी के दौरान चरण 1	नियोजन और क्रियान्वयन के दौरान परामर्श या विचार-विमर्श एक सतत प्रक्रिया	***धारा 4(1)*** एसआईए (SIA) को निष्पादित करने के लिए पीआरआई, शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि के साथ पहले विचार-विमर्श के लिए जारी तिथि। ***धारा 5***: प्रभावित क्षेत्र में एसआईए (SIA) की जन सुनवाई। तिथि और समय का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें।

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
एसआईए और एसआईएमपी तैयार करने की समयावधि	प्रारूप सामाजिक आकलन पुनर्वास कार्य योजना और या सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा मूल्यांकन से पहले तैयार की जाए।	***धारा 4 (2)***: इसके आरंभ होने की तिथि से ***छह महीने के भीतर***
प्रकटीकरण या खुलासा – चरण 1	मूल्यांकन से पहले और बोर्ड की तिथि से 120 दिन पहले प्रकट या उद्घाटित किया जाए।	***धारा 6(1)***: स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए जो पीआरआई संस्थाओं में और स्थानीय शहरी शासन निकायों; जिला प्रशासन के कार्यालयों में और संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हो।
एसआईए (SIA) और एसआईएमपी (SIMP) के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समूह बनाना	बैंक के स्टाफ द्वारा मूल्यांकित	***धारा 7(1):*** बहु-अनुशासनात्मक विशेषज्ञ समूह गठित करें जिसमें विकेंद्रीकृत सरकारी संस्थाओं (पीआरआई PRI, यूएलबी ULB) के सदस्य शामिल हों।
समूह के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नियत समय	निर्णय से पहले मूल्यांकन के लिए बैठक	***धारा 7(4): समूह के गठन की तिथि से दो माह के भीतर*** समूह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे
विशेषज्ञ समूह का कार्यक्षेत्र	सामाजिक आकलन, पुनर्वास कार्य योजना जिसकी बैंक के स्टॉफ द्वारा समीक्षा और मूल्यांकन किया गया हो और क्षेत्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा स्वीकृत की गई हो।	***धारा 7 (4) (a और b)***: यह आकलन किया जाए कि यह कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है या नहीं; यदि सामाजिक लागतें संभावित लाभों से अधिक हों तो इसे त्याग देना चाहिए; ***धारा 7 (5) (a और b)***: यदि सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है तो इसमें न्यूनतम भूमि अधिग्रहण पर और विस्थापन को कम से कम करने के वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है; संभावित लाभ सामाजिक लागतों से अधिक हैं।
विचार-विमर्श - चरण II मूल्यांकन के दौरान	व्यवहार में, परियोजना प्रभावित क्षेत्र में जिला और राज्य स्तर पर परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।	***धारा 2 (2):*** पीपीपी में और जहां निजी कंपनी ने शेष भूमि अधिग्रहीत करने के लिए सरकार से संपर्क किया है वहां क्रमशः 70% और 80% भूमि स्वामियों की पूर्व सम्मति प्राप्त कर ली गई है।
प्रकटीकरण या खुलासा -	नियोजन तथा क्रियान्वयन के आरंभ से अंत तक सूचना का	***धारा 7 (6):*** विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं 7 (4 और 5) के अधीन जिला और प्रखंड प्रशासनिक कार्यालयों और

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
चरण II	प्रचार-प्रसार	पीआरआई (PRI) में स्थानीय भाषा में सार्वजनिक की जाएं
बहु-फसली भूमि पर प्रभावों को न्यूनतम करना	व्यवहार्य डिजाइन का चयन करें जिसका न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हो।	***धारा 10:*** यदि असाधारण परिस्थितियों में सिंचित बहु-फसली भूमि अधिग्रहीत की जाती है, तो भी अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्र जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं की भूमि के कुल योग से अधिक नहीं हो सकता। अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्र जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुआई किए हुए क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता। अधिग्रहीत क्षेत्र से दोगुने के समतुल्य ऊसर भूमि विकसित की जाएगी।
प्रारंभिक नोटिस की सूचना का प्रचार-प्रसार	तैयारी और भागीदारी का सतत भाग	***धारा 11 (1), (2) और (3)***: नोटिस स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए और ग्राम सभाओं, नगरपालिकाओं की बैठकें बुलाई गईं ताकि परियोजना के उद्देश्य, एसआईए (SIA) के सार-संक्षेप और आरऐंडआर योजना के आरऐंडआर सार-संक्षेप के लिए नियुक्त प्रशासक के विवरणों की पूर्ण जानकारी दी जा सके।
भू अभिलेखों को अद्यतन करना	आरएपी (RAP) का भाग है	***धारा 11 (5)***: एक बार जब स्थापित हो जाए कि भूमि की सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता है, तो उसी के अनुसार धारा 19 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए **जिसके उपरांत दो माह के भीतर भू अभिलेख अद्यतन किए जाएं।**
आरऐंडआर योजना की गणना और तैयारी	आरएपी (RAP) का भाग है	***धारा 16 (1) (2)***: प्रभावित लोगों और उनकी प्रभावित होने वाली संपत्तियों, आजीविका की हानि और प्रभावित होने वाली साझा संपत्तियों की गणना करें; आरऐंडआर योजना में क्रियान्वयन की समय सीमा शामिल हो।
सूचना का प्रसार और जन सुनवाई - चरण III	पूरी प्रक्रिया के दौरान विचार-विमर्श अनिवार्य है	***धारा 16(4)और(5)***: पुनर्वास क्षेत्र सहित आरऐंडआर योजना के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार और प्रारूप आरऐंडआर योजना के बारे में प्रत्येक ग्राम सभा, नगरपालिका में जन सुनवाई का और पीईएसए (PESA) की आवश्यक के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र में परामर्श तथा विचार-विमर्श का आयोजन करना अनिवार्य है
आरऐंडआर योजना		***धारा 17 और 18***: जन सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों को संबोधित करने के पश्चात आरऐंडआर

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
की स्वीकृति		(R&R) योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया देना और स्वीकृत करना।
आरऐंडआर (R&R) योजना की अंतिम घोषणा	बजट प्रावधानों सहित स्वीकृत आरएपी (RAP) क्रियान्वित करने के लिए	***धारा 19 (2)***: मांग करने वाले निकाय द्वारा धनराशि जमा करवा चुकने के बाद ही सरकार **19(1)** के साथ नोटिस जारी करेगी।
नियत समयावधि	आरएपी (RAP) में शामिल - समय सीमाएं सरकार की प्रक्रियाओं के साथ समन्वित हों अथवा ऐसे नवोन्मेषी तरीके अपनाएं जिससे समय कम लगे, जो भागीदारी और पारदर्शिता के सिद्दांतों के आधार पर संचालित हों।	***धारा 19 (2):*** भू अभिलेखों को अद्यतन करने, सूचना प्रसारित करने, प्रारंभिक सर्वे, गणना, आपत्तियों की सुनवाई, आरऐंडआर योजना की तैयारी और स्वीकृति, धनराशि को जमा करने की समूची प्रक्रिया धारा 11, प्रारंभिक नोटिस जारी किये जाने की तिथि से ***दो महीने के भीतर पूरी*** होनी ही चाहिए। ***धारा 19 (7)***: यदि अंतिम घोषणा धारा 11 (1) के 12 महीनों के भीतर नहीं की जाती है, तो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत को छोड़कर प्रक्रिया कालातीत हो जाएगी।
भूमि अधिग्रहण योजना की तैयारी	आरएपी (RAP) में शामिल	***धारा 20:*** अधिग्रहण योजनाओं की तैयारी के लिए भूमि चिह्नित की गई, मापी गई
दावों की सुनवाई		***धारा 21(1) (2)***: भूमि का कब्जा लेने के सरकार के इरादे का संकेत देते हुए नोटिस जारी और मुआवजे तथा आरऐंडआर (R&R) के दावे किये जा सकते हैं जिनका समय धारा 21 (1) के जारी होने की तिथि से **एक माह से कम नहीं और छह माह से अधिक नहीं** होना चाहिए।
अवार्ड घोषित करने की नियत समयावधि		***धारा 25:*** भूमि अधिग्रहण योजनाओं को पूरा करने, आपत्तियों की सुनवाई करने, व्यक्तिगत दावों के निपटारे के बाद **धारा 19 (भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अंतिम घोषणा, स्वीकृत आरऐंडआर योजना) के जारी होने के 12 महीनों के भीतर** अवार्ड घोषित करना आवश्यक है। यदि नियत समय के भीतर अवार्ड घोषित नहीं किया जाता है, तो पूरी कार्यवाहियां कालातीत हो जाएंगी।
एलए (LA) अधिनियम 1984 को कालातीत मानना और		***धारा 24***: जहां धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड घोषित नहीं किया गया है, या जहां पांच साल पहले घोषित किया गया था किंतु भूमि कब्जे में नहीं ली गई थी, या जहां अवार्ड घोषित कर दिया गया किंतु बहुतायत लाभान्वितों

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
आरएफसीटीएलएआरऐंडआर (RFCTLAR&R) का लागू होना		के खाते में धन जमा नहीं करवाया गया।
भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने की पद्धति	पूर्ण प्रतिस्थापना लागत	***धारा 26* और प्रथम अनुसूची *:*** 3 पद्धतियों को मान्यता देती है और जो भी ज्यादा हो उस पर विचार किया जाएगा और उसमें पहली अनुसूची में दिए गए एक कारक से गुणा किया जाएगा; पूर्व में दिए गए मुआवजे को नहीं माना जाएगा; यदि दरें उपलब्ध नहीं हैं तो आधार मूल्य या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है; बाजार मूल्य को अद्यतन बनाने के लिए कदम उठाए जाने हैं।
संरचनाओं का मूल्य निर्धारण	पूर्ण प्रतिस्थापना लागत	***धारा 29 (1)*** मूल्य ह्रास की कटौती किए बगैर।
सांत्वना राशि और ब्याज		***धारा 30(1)*** मुआवजा धनराशि का 100% ***धारा 30(3)***: एसआईए (SIA) की अधिसूचना की तिथि से वार्ड या भूमि अधिग्रहीत करने की तिथि तक बाजार दर पर 12% प्रति वर्ष
आरऐंडआर (R&R) अवार्ड	प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए और उन्हें उनकी आजीविकाओं और रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने की या कम से कम उन्हें, वास्तविक अर्थ में, उनके विस्थापन-पूर्व स्तरों तक या परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ होने से पहले प्रचलित स्तरों तक, जो भी अधिक हो, लाने की कुल लागत आरएपी (RAP) में शामिल है।	***धारा 31, द्वितीय अनुसूची***: परिवार को एक इकाई के रूप में मुआवजे की धनराशि से ऊपर अतिरिक्त आरऐंडआर (R&R) अनुदान मिलेगा और उन्हें भी मिलेगा जो मुआवजे के अधिकारी नहीं हैं। ***द्वितीय अनुसूची :*** निर्मित मकान के अधिकारी बेघर लोग, सिंचाई परियोजनाओं में मुआवजे के एवज में जमीन के बदले जमीन, शहरीकरण के उद्देश्य से अधिग्रहण के मामले में 20% विकसित भूमि स्वामियों के लिए आरक्षित, जिसकी कीमतें क्षतिपूरक नौकरी या 20 साल की निर्वाह सहायता के लिए एक बार भुगतान या वार्षिक वृत्ति के समतुल्य होगी, परिवहन, भूमि और मकान पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर पंजीकृत इत्यादि। **अनुलग्नक बी (B) देखें**
पारदर्शिता		***धारा 37(1):*** हानि, स्वीकृत मुआवजे आदि सहित प्रत्येक

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
		वैयक्तिक परिवार की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
भूमि का कब्जा	भूमि और संबंधित संपत्तियों का कब्जा विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने तथा, जहां लागू हो, वहां पुनर्वास स्थलों और स्थानांतरण भत्तों को प्रदान कर दिए जाने के बाद लिया जा सकता है।	***धारा 38(1)***: भूमि का कब्जा मुआवजे की अदायगी के तीन महीने के भीतर और आरऐंडआर लाभों की अदायगी के 6 महीनों के भीतर सरकार द्वारा ले लिया जाएगा; पुनर्स्थापन स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास धारा 30 के अंतर्गत मुआवजे के लिए अवार्ड देने की तिथि से 18 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा; सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में आरऐंडआर डूब के पहले छह महीनो में पूरा कर लिया जाएगा।
बहुविध विस्थापन		***धारा 39:*** निर्धारित मुआवजे के समतुल्य अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान विस्थापित को किया जाएगा।
आपात उद्देश्य के लिए अधिग्रहण	बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में अनुमत्य नहीं	***धारा 40 (5)***: मुआवजा धनराशि के ऊपर 75% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
अधिग्रहण और हस्तांतरण के पहले पूर्व सम्मति	स्थानीय मूल लोगों के साथ स्वतंत्र, पूर्व और जानकार विचार-विमर्श करना अनिवार्य	***धारा 41(3)*** अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा, पंचायत, स्वायत्तशासी परिषदों की सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
एससी और एसटी के लिए विकास योजनाएं	आरएपी (RAP) के साथ स्थानीय मूल लोगों के विकास की योजना आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में जमीन के बदले जमीन एक विकल्प है।	***धारा 41:*** पृथक विकास योजनाएं तैयार की जानी हैं; अधिग्रहण से पहले भूमि अधिकारों का निपटारा करें; वन भूमि पर वैकल्पिक ईंधन चारा, इमारती लकड़ी से इतर वनोपजों की व्यवस्था 5 वर्ष के भीतर विकिसत की जाए; एक-तिहाई मुआवजा धनराशि प्रथम किस्त के रूप में और शेष कब्जा लेने के समय अदा की जाए; एसटी (ST) को अनुसूचित क्षेत्र के भीतर ही पुनर्स्थापित किया जाए; सामुदायिक उद्देश्यों के लिए जमीन निशुल्क; भूमि हस्तांतरण शून्य माना जाएगा और एसटी और एससी को आरऐंडआर लाभों के लिए विचार किया जाएगा; सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं में मछली पकड़ने के अधिकार बहाल; यदि जिले से बाहर बसना चाहता हो तो मौद्रिक अर्थ में अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जायेंगे; अन्य कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सभी अधिकारी जारी रहेंगे। ***द्वितीय अनुसूची***: एससी और एसटी के लिए सिंचाई परियोजनाओं में भूमि के लिए अतिरिक्त प्रावधान, निर्वाह या गुजारा सहायता के ऊपर और अतिरिक्त धनराशि।
सांस्थानिक व्यवस्था	सांस्थानिक व्यवस्थाओं पर सहमति अवश्य होनी चाहिए और उन्हें आरएपी (RAP) तथा आईपीडीपी (IPDP) में शामिल किया ही जाना चाहिए।	***धारा 43-45:*** जब 100 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहीत की जानी हो तब प्रशासक, आरऐंडआर आयुक्त की नियुक्ति, परियोजना स्तर पर आरऐंडआर समिति बनाई जाएगी, ग्राम सभा और नगरपालिका द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षण या ऑडिट किया जाना है।
भू उपयोग में बदलाव		***धारा 46(4):*** जब तक आरऐंडआर का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जाता तब तक अधिग्रहण या मांग करने वाले अधिकारी को भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
निगरानी और मूल्यांकन	संकेतकों और निगरानी प्रणाली को आरएपी (RAP) और आईपीडीपी (IPDP) में शामिल किये गये हैं।	***धारा 48-50:*** प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करें
दावों के निपटारे के		***धारा 51-74:*** उपयुक्त सरकार अधिसूचना के माध्यम से पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकार के रूप में एक या

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
लिए प्राधिकार		अधिक प्राधिकरणों की स्थापना करेगी। प्राधिकरण की स्थापना अधिग्रहण और आरऐंडआर से उत्पन्न किसी भी विधिक विवाद के निपटारे के लिए किया जाएगा, उसके उपरांत असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में जा सकता है।
कर और शुल्क से छूट		***धारा 96:*** मुआवजा और समझौता राशियां कर तथा स्टांप शुक्ल के देनदार नहीं होंगे।
अधिग्रहीत भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं		***धारा 99***: एक बार जब भूमि एक उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत कर ली जाती है, तो उसके उपरांत उसके उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
उपयोग में नहीं ली गई भूमि की वापसी		***धारा 101:*** यदि अधिग्रहीत की गई भूमि का 5 वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे उसके मूल स्वामी, वारिस को लौटा दिया जाएगा या भूमि बैंक में शामिल कर लिया जाता है।
हस्तांतरित की गई भूमि के वर्धित मूल्य का वितरण		***धारा 102***: यदि कोई विकास कार्य नहीं हुआ हो तो अधिग्रहीत भूमि के अधिमूल्यित मूल्य का 40% मालिकों को वितरित कर दिया जाएगा।

स्रोत : द्वितीयक स्रोतों से संकलित

सारणी 3.4 : पात्रता मैट्रिक्स

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
क. निजी कृषि भूमि, वास भूमि और व्यावसायिक भूमि की हानि				
1	भूमि	स्वामित्वधारी परिवार और पारंपरिक भूमि अधिकार धारी परिवार	बाजार मूल्य पर मुआवजा, अनुसूची 1 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन	क) यदि उपलब्ध हो तो भूमि के बदले में भूमि। या भूमि के लिए नकद मुआवजा उस प्रतिस्थापन मूल्य पर जिसका निर्धारण आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 के अधीन प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। ख) यदि जमीन आवंटित की जाती है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगी। ग) यदि अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन अव्यवहार्य हो तो जमीन के मालिक के पास यह विकल्प होगा कि

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				वह बची हुई जमीन को रखे या बेच दे। घ) प्रतिस्थापन भूमि के लिए होने वाले स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों की धन-वापसी का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा; प्रतिस्थापन भूमि की खरीद परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के भुगतान के एक वर्ष के भीतर करना ही होगा। ङ) यदि कोई फसलों की हानि हो तो बाजार मूल्य से मुआवजा या तीन महीनों का नोटिस। च) वास भूमि की हानि के लिए पुनर्स्थापना के मामले में पुनर्स्थापन सहायता धारा ई 6 के अनुसार।
ख. निजी संरचनाओं (आवासीय/व्यावसायिक) की हानि				
2	संरचना	स्वामित्वधारी/ मालिक	बाजार मूल्य से मुआवजा, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन सहायता अनुसूची 1 और 2 के अनुसार।	क) संरचनाओं के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद मुआवजा जिसका निर्धारण आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार होगा। ख) ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान या शहरी क्षेत्र में आरएवाय (रे) के अंतर्गत मकान के बदले में 50,000 रुपये या पुनर्वास कॉलोनी में निर्मित मकान या मकान के बदले में 1,00,000 रुपये। यदि मकान आवंटित किया जाता है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। ग) ध्वस्त संरचनाओं की निस्तारण सामग्री का अधिकार। घ) संरचनाओं को खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस। ङ) नए वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों की धन-वापसी उपरोक्त (a) में निर्धारित अनुसार बाजार मूल्य की प्रचलित दरों पर। वैकल्पिक मकान/दुकान मुआवजे के भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर अवश्य खरीद लिए जाने चाहिए। च) यदि प्रभावित संरचनाएं आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं और बाकी संरचना व्यवहार्य बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में संरचना को बहाल करने के लिए 10% अतिरिक्त धनराशि। यदि प्रभावित संरचना आंशिक रूप से प्रभावित होती है और बाकी बची संरचना अव्यवहार्य हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पृथक्करण भत्ते के रूप में मुआवजे की 25% अतिरिक्त धनराशि।

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				छ) प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ है और जिसके पास पशु हैं, पशु बाड़े के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। ज) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हुआ है (इस परियोजना में किसी भी आवासीय-सह-व्यावसायिक संरचना का मालिक), वर्किंग शेड या दुकान के निर्माण के लिए एक बार 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। झ) आवासीय संरचना की हानि के कारण पुनर्स्थापना के मामले में धारा ई 6 में निर्दिष्टानुसार पुनर्स्थापन सहायता।
3	संरचना	किरायेदार/लीज या पट्टे का धारक	पुनर्स्थापन और पुर्नवास सहायता	क) पंजीकृत लीज या पट्टा धारक प्रयोज्य स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना मालिक को देय मुआवजे में बंटवारे का अधिकारी होगा। ख) किरायेदारों के मामले में स्थानांतरण भत्ते के रूप में 50,000 रुपये के साथ तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा।
ग. वृक्षों और फसलों की हानि				
4	खड़े हुए पेड़ और फसलें.	मालिक और लाभान्वित (पंजीकृत/अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर, लीजधारक और बंटाईदार)	बाजार मूल्य पर मुआवजा	क) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को फल की पैदावार, खड़ी फसलों और पेड़ों को हटाने के लिए एक महीने का अग्रिम नोटिस। ख) मुआवजे का भुगतान उस दर पर होगा जिसका आकलन निम्न के द्वारा किया जाएगा : i) इमारती लकड़ी के पेड़ों के लिए वन विभाग ii) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग iii) फल/फूल देने वाले पेड़ों के लिए बागवानी विभाग ग) पंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर और लीजधारक तथा बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच समझौता दस्तावेज के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के पात्र होंगे। घ) अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर और लीजधारक और बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच आपसी समझ के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के पात्र होंगे।

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
घ. गैर-स्वामित्वधारियों की आवासीय / व्यावसायिक संरचनाओं की हानि				
5	सरकारी जमीन पर संरचनाएं	परियोजना जनगणना के सर्वे के अनुसार चिह्नित संरचनाओं के मालिक या संरचनाओं के कब्जाधारी	अनुसूची 2 के अनुसार पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	क) कब्जाधारियों / अतिक्रमणकारियों को कब्जा की गई जमीन खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। ख) अतिक्रमणकारियों/कब्जाधारियों को संरचनाओं की हानि के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद सहायता दी जाएगी, जिसके लिए संरचना का मूल्य निर्धारण मूलभूत निर्धारण दर या बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स (बीएसआर) के अनुसार किया जाएगा। ग) किओस्क या खोखे के अलावा सभी कब्जाधारियों को एक मुश्त अनुदान के रूप में प्रति परिवार स्थायी संरचना के लिए 30,000 रुपये, अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 25,000 रुपये और अस्थायी संरचना के लिए 10,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा। घ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, वर्किंग शेड या दुकान के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की सहायता। ङ) किओस्क या खोखों के मामले में एक बार अनुदान के रूप में केवल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। च) प्रति परिवार आय उत्सर्जन के लिए 10,000 रुपये की प्रशिक्षण सहायता, उन गैर-स्वामित्वधारियों के लिए लागू होगा जो आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं आते।
ङ. आजीविका की हानि और स्थानांतरण सहायता				
6	प्रभावित क्षेत्र के भीतर रह रहे परिवार	स्वामित्वधारी/ बंटाईदार, खेतिहर मजदूर और कर्मचारी	अनुसूची 2 के अनुसार पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	क) एक बार अनुदान के रूप में 36,000 रुपये का निर्वाह या गुजारा भत्ता। ख) रोजगार के एवज में 5,00,000 रुपये का एक बार अनुदान अथवा वार्षिक वृत्ति। ग) विस्थापित हो रहे प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्थानांतरण भत्ते के रूप में एक बार 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। घ) पुनर्वास सहायता के रूप में 50,000 रुपये की एक बार सहायता।
च. संवेदनशील कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता				
7	परिवार	एससी, एसटी, बीपीएल,	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	50,000 रुपये की एक बार अतिरिक्त वित्तीय सहायता। खंड 5 के अंतर्गत पहले ही समाहित अवैध कब्जाधारी

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
		डब्ल्यूएचएच परिवार		और अतिक्रमणकारी इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।
छ. सामुदायिक अवसंरचना/ साझा संपत्ति संसाधनों की हानि				
8	संरचनाएं तथा अन्य संसाधन (जैसे जमीन, जल, संरचनाओं तक पहुंच आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक संरचना और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन स्थल का विकास अनुसूची 3 के अनुसार	सामुदायिक संरचना और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण समुदाय के साथ विचार-विमर्श के साथ।
ज. निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
9	निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित भूमि, संपत्तियां	भूमि और संपत्तियों के मालिक	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव, जैसे सामान्य यातायात का रास्ता बदलना, भारी मशीनों की और संयंत्र स्थल पर आवाजाही के कारण नजदीक के भूखंडों / संपत्तियो को नुकसान के लिए मुआवजा	संपत्तियों, फसलों की हानि तथा किसी भी अन्य नुकसान के लिए ठेकेदार के द्वारा 'ठेकेदार' और 'प्रभावित पक्ष' के बीच पूर्व समझौते के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
छ.	**पुनर्वास स्थल**			
10	आवासीय संरचना की हानि	विस्थापित स्वामित्वधारी और गैर-स्वामित्वधारी	पुनर्वास स्थल / विक्रेता बाजार के प्रावधान	यदि कम से कम 25 परियोजना विस्थापित परिवार सहायता-प्राप्त पुनर्वास का विकल्प चुनते हैं, तो पुनर्वास स्थलों का विकास परियोजना के अंग के रूप में किया जाएगा। पुनर्वास स्थल पर भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन में संवेदनशील पीएपी को प्रमुखता दी जाएगी। भूखंड का आकार आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के अधिकतम के अधीन गंवाए गए भूखंड के आकार के समतुल्य होगा। पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाएं परियोजना द्वारा आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार, यदि कम से कम 25 विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान (छोटे व्यावसायिक उद्यम) शॉपिंग इकाइयों का विकल्प चुनते हैं,

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				तो परियोजना प्राधिकरण विस्थापित व्यक्तियों के परामर्श से निकट के इलाके में उपयुक्त स्थान पर एक विक्रेता बाजार का विकास करेगा। इस विक्रेता बाजार में बुनियादी सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, बिजली का कनेक्शन, पानी और स्वच्छता की सुविधा परियोजना द्वारा प्रदान की जाएंगी। विक्रेता बाजार में दुकानों के आवंटन में संवेदनशील पीएपी को प्रमुखता दी जाएगी। एक विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर केवल एक भूखंड का या विक्रेता बाजार में केवल एक दुकान का अधिकारी होगा।

***कोई भी सहायता दोहराई नहीं जाएगी**

****पात्रता मैट्रिक्स केवल साहेबगंज में चिह्नित उप परियोजना पर लागू होगा**

*****अन्य राज्य कर और उपकर अतिरिक्त रूप से लागू होंगे**

****** अपूर्वानुमानित हानियों जैसे नौकाओं के संचालन के दौरान मछली पकड़ने के जालों को नुकसान के लिए व्यथित मछुआरों को अलग-अलग घटना के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। पीआईयू हानि (तथा किन्हीं भी अन्य प्रभावों) के स्वरूप और सीमा का निर्धारण करेगी और जिम्मेदार परिचालक उसी के अनुरूप क्षतिपूर्ति करेगा।**

3.2. परिभाषाएं और विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड

इन नीति में उपयोग की गई विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषाएं हैं :

- **अधिग्रहीत भूमि या जमीन** का अर्थ है वह भूमि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 (एलएए, 1894) अथवा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) अथवा किसी अन्य प्रचलित जीओ के लिए अधिग्रहीत की गई है।
- **कृषि भूमि** का अर्थ वह भूमि है जिसका उपयोग (i) कृषि या बागवानी; (ii) डेयरी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन, पशुधन प्रजनन या चिकित्सीय वनस्पति उगाने वाले पौधघरों; (iii) फसलों, पेड़ों, घास या उद्यान उपजों को उगाने; और (iv) पशुओं को चराने के लिए भूमि उपयोगों जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
- **प्रभावित क्षेत्र** का अर्थ ऐसा क्षेत्र है जिसे एलएए 1894 के अंतर्गत अथवा यदि भूमि का अधिग्रहण जनवरी 2014 के पश्चात किया जा रहा हो तो आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
- **प्रभावित परिवार** का अर्थ है

(i) वह परिवार जिसकी जमीन या अन्य अचल संपत्ति अधिग्रहीत की गई है;

(ii) वह परिवार जो किसी भूमि का स्वामी नहीं है किंतु ऐसे परिवार का सदस्य या के सदस्य खेतिहर मजदूर हों, किसी भी रूप में किरायेदार या भोगाधिकार धारक किरायेदार हों, बंटाईदार या दस्तकार हों, या जो भूमि के अधिग्रहण के तीन साल पहले से प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हुआ हो;

(iii), अनुसूचित जनजातियां और अन्य पांरपरिक वन वासी जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्य वन अधिकार गंवा दिए हों;

(iv) वे परिवार जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से तीन वर्ष पहले से वनों या जल निकायों पर निर्भर रहा है और जिनमें वनोपजों के संग्रहकर्ता, शिकारी, मछलीपालक और नाविक शामिल हैं औह जिनकी आजीविका भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुई हो।

- **क्षतिपूर्ति या मुआवजा** का अर्थ है वह धनराशि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अथवा यदि भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की जा रही हो तो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना के लिए अधिग्रहीत निजी संपत्तियों, संरचनाओं तथा अन्य संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गई हो।
- **कटऑफ या विभाजक तिथि** उस अधिसूचना की तिथि या तारीख है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के अंतर्गत अथवा यदि भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की जा रही हो तो आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा 3 के अंतर्गत जारी की गई है और गैर-स्वामित्वधारियों के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वे की तिथि है।
- **विस्थापित परिवार** का अर्थ है कोई भी प्रभावित परिवार, (i) जिसे भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से स्थानांतरित होना पड़ा है; (ii) वह परिवार जिसके आवास का प्राथमिक स्थान या अन्य संपत्ति या आजीविका का स्रोत परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; (iii) अन्य संपत्ति का कोई भी भू-धृति धारक (टेन्योर होल्डर), किरायेदार, लीजधारक या मालिक, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के कारण ऐसी भूमि या अन्य संपत्ति से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ है; (iv) कोई भी खेतिहर या गैर-खेतिहर मजदूर, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास वास भूमि या कृषि भूमि नहीं है), ग्रामीण दस्तकार या शिल्पकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति, जो अधिग्रहीत भूमि पर रह रहा है या किसी व्यापार, व्यवसाय, काम-धंधे या पेशे में लगा है, और जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के कारण अपनी आजीविका कमाने से वंचित हो गया है या अपने व्यापार, व्यवसाय, काम-धंधे या पेशे के मुख्य स्रोत से पूरी तरह या भलीभांति विलग हो गया है।
- **कर्मचारी** का अर्थ है वह व्यक्ति जो अधिग्रहीत भूमि में विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्य में रखा गया है**,** और यह अर्थ मौखिक या लिखित, व्यक्त या निहित रोजगार के अनुबंध के अधीन क्षतिपूर्ति या मुआवजे के उद्देश्य से है।
- **अतिक्रमणकारी** वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने भवन या इमारत, व्यावसायिक परिसर या कार्य स्थल या कृषि गतिविधियों का विस्तार सरकारी जमीनों पर कर लिया है। इनमें वे अनधिकृत प्रवेश करने वाले शामिल नहीं हैं जो सुरक्षित भूमि के अवैध उपयोग के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।
- **भूमि अधिग्रहण** का अर्थ है एलएए 1894 या जहां भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की गई हो वहां आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि।
- **न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक** का अर्थ है एक व्यक्ति का न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक प्रति दिन जो उसकी सेवाओं**/**श्रम के बदले में उसे जहां परियोजना स्थित है उस राज्य की सरकार के श्रम विभाग अथवा भारत सरकार, जो भी लागू हो, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अदा किया जाता है।
- **गैर-बारहमासी फसल :** का अर्थ ऐसी कोई भी पौध प्रजाति है जो या तो प्राकृतिक रूप से या खेती के माध्यम से उगती-बढ़ती है और जो कटाई के एक मौसम विशेष में जीवित रहती है और उसकी उपज की कटाई के बाद नष्ट हो जाती है।

- **अधिसूचना** का अर्थ है भारत सरकार या राज्य सरकार, जो भी स्थिति हो, के गजट या अधिपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- **बारहमासी फसल :** का अर्थ है कोई भी पौध प्रजाति जो वर्षों जीवित रहती है और अपनी उपज परिपक्वता की एक निश्चित आयु के पश्चात देती है।
- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) पात्रताओं या अधिकारों** का अर्थ है इस दस्तावेज में प्रस्तुत तथा आईडब्ल्यूएआई द्वारा अंगीकृत आरऐंडआर के संबंध में आईडब्ल्यूएआई की नीति में दी गई आरऐंडआर रूपरेखा के अनुसार स्वीकृत लाभ।
- **भूमि के पृथक्करण (सीवरेंस ऑफ लैंड)** का अर्थ है एक भूमि के स्वामित्व को मुख्यतः नई परियोजना के घटनाक्रम के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण दो या अधिक हिस्सों में बांटना।
- **अवैध कब्जाधारी** का अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने आवासीय या अन्य उद्देश्यों के लिए सरकार जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
- **राज्य सरकार/सरकार** का अर्थ है पश्चिम बंगाल की सरकार।
- **किरायेदार** वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के तीन वर्ष पहले से आवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्य से एक संरचना या भूमि का प्रयोग करने के लिए संपत्ति के सुस्पष्ट स्वामित्वधारी संपत्ति मालिक के साथ प्रामाणिक किरायेदारी समझौता किया है।

4. परियोजना के लिए अपनायी गयी भूमि अधिग्रहण प्रकिया

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तथा अस्वैच्छिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता प्राथमिक रूप से टर्मिनल सुविधाओं और ऐसी सुविधाओं के साथ इंटरमोडल संयोजकता के निर्माण जैसे प्रस्तावित मध्यावर्तनों के लिए है।

4.1. भूमि अधिग्रहण तथा अन्य अचल संपत्तियों के लिए रूपरेखा

परियोजना केंद्रित आरऐंडआर नीति भूमि तथा अन्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दो विकल्पों का प्रावधान करती है। विकल्प 1 सीधी खरीद का है और विकल्प 2 आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के माध्यम से है। विवरण निम्नानुसार हैं :

***विकल्प 1*:** जमीन की सीधी खरीद

*** यह केवल उत्तर प्रदेश में चरण 1(बी) और चरण 2 के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए है।**

इस विकल्प के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा :

- परियोजना को एसआईए के दौरान स्थानीय राजस्व अधिकारियों की परामर्श से खरीदे जाने वाले भूखंडों और मालिकों की पहचान करनी है।
- खरीद के आशय और खरीद के उद्देश्य से ऐसे भू स्वामियों की सूची जिला मजिस्ट्रैट को भेजी जाएगी। विद्यमान शासकीय आदेश (जीओ) संख्या 271/83 तिथि 2 सितंबर 2013 के अनुसार सीधी खरीद के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। (उत्तर प्रदेश में लागू होने योग्य)।
- जमीन का आधार मूल्य आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- दर का अंतिम निर्णय भूमि खरीद समिति द्वारा लिया जाएगा।

***विकल्प 2*: भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास अधिनियम 2013** के माध्यम से निजी भूमि का अधिग्रहण

विकल्प 2 के अनुसार सभी निजी अचल संपत्तियां नए आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार अधिग्रहीत की जाएंगी। प्रभावित क्षेत्र के भीतर विगत 3 वर्षों से रह रहे सभी पात्र पीएपी मुआवजे के ऊपर और अतिरिक्त आरऐंडआर सहायता के अधिकारी होंगे। ऐसे पीएपी जो अधिनियम के अनुसार मुआवजे के अधिकारी नहीं हैं (अतिक्रमणकारी और अवैध कब्जेधारी), उन्हें परियोजना केंद्रित आरऐंडआर नीति में दी गई उनकी पात्रता के अनुसार आरऐंडआर लाभ प्राप्त होंगे। मुआवजे और सहायता का अधिकार केवल उन्हीं पीएपी को दिया जाएगा जिनकी पहचान कट ऑफ या विभाजक तिथि तक या पहले कर ली गई होगी।

छूट का प्रयोग

भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 में 3 अप्रैल 2015 को एक संशोधन अध्यादेश लागू किया गया। अध्यादेश पांच श्रेणियों की परियोजनाओं को कुछ निश्चित आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है : (i) रक्षा; (ii) ग्रामीण आधारभूत ढांचा; (iii) सस्ते आवास; (iv) औद्योगिक गलियारे; (v) निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) सहित आधारभूत ढांचा परियोजनाएं जिनमें केंद्र सरकार जमीन की मालिक है। इन 5 श्रेणियों की परियोजनाओं को निजी परियोजनाओं के लिए 80% भू स्वामियों की सम्मति प्राप्त करने और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70% भू स्वामियों की सम्मति प्राप्त करने की आवश्यकता से और साथ ही अधिसूचना के जरिए सामाजिक प्रभाव

आकलन करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। इस संदर्भ में यह परियोजना श्रेणी (v) के अंतर्गत आना संभावित है। इसी के अनुसार, साहेबगंज की इस परियोजना के लिए आरएफटीसीएलएआरआर 2013 की धारा अध्याय 2 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता से आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2014 के संबंध में झारखंड राज्य नियमों के नियम 5 के अनुसार छूट दी गई थी (आदेश की एक प्रतिलिपि अनुलग्नक 1 में है)। तथापि श्रेष्ठतम प्रथाओं का अनुपालन करते हुए विश्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार एक एसआईए किया गया और प्रयोज्य राष्ट्रीय विधानों तथा नियमों का विचार करते हुए क्षेत्र के लिए एक पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार की गई जिसे जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया गया।

4.2. एलए (LA) और आरऐंडआर (R&R) के लिए प्रक्रिया प्रवाह

4.2.1. *आईडब्ल्यूएआई द्वारा भूमि की आवश्यकता*

किसी भी निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव आरएफटीसीएलएआरआर () अधिनियम 2013 के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाये और लागू किये गये नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत किया जाएगा। इन प्रारूपों में खतिया सूचियां, खसरा मानचित्र और उनके साथ अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का विस्तृत क्षेत्र शामिल होगा।

4.2.2. *आरऐंडआर (R&R) के लिए 'प्रशासक' की नियुक्ति :*

आरएफटीसीएलएआरआर (RFCTLARR) की धारा 2 के अनुसार, उपयुक्त सरकार (संबंधित राज्य सरकार) अन्य 'आवश्यकता वाले निकायों' की ओर से भूमि का अधिग्रहण करेगी। आरएफटीसीएलएआरआर की धारा 43 के अनुसार प्रशासक के रूप में नियुक्त एक अधिकारी पुनर्स्थापन और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए उत्तरदायी होगा। एक अधिकारी जो कलेक्टर, अपर समाहर्ता या डिप्टी कलेक्टर या किसी भी समतुल्य पद से नीचे का नहीं होगा 'प्रशासक' नियुक्त किया जाता है।

4.2.3. *अधिसूचना, घोषणा और अवार्ड की तैयारी :*

मांग का आवेदन प्राप्त होने के उपरांत संबंधित राज्य सरकार आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अध्याय 2 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन करवायेगी, बशर्ते आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के लिए राज्य के नियमों में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसा करने से छूट न दी गई हो। यह आकलन पूरा होने के उपरांत संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त किया गया 'प्रशासक' अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के लिए आरंभिक अधिसूचनाएं (धारा 11(1) के अनुसार) और घोषणाएं (धारा 19(1) के अनुसार) जारी करेगा। आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धाराओं 26, 27, 282, 29, 30 के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा मांगपत्र तैयार किया जाता है। आरऐंडआर अवार्ड सूची और योजना जिला प्रशासन द्वारा करवायी गयी जनगणना और सर्वे के आधार पर तथा प्रभावित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का काम पूरा करने के बाद तैयार की जाती है। आरऐंडआर योजना और अवार्ड राज्य के लिए नियुक्त आरऐंडआर आयुक्त को अग्रेषित की जाती है। यदि राज्य सरकार योजना से संतुष्ट है, तो जिला प्रशासन धारा 19(1) के अनुसार घोषणा जारी कर सकता है। घोषणा किए जाने से पहले भूमि की आवश्यकता वाला निकाय धनराशि जमा (पूर्ण या आंशिक) करवाता है ताकि संबंधित राज्य सरकार घोषणा कर सके।

4.2.4. *परियोजना प्रभावित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की पद्धति*

भूमि अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन की पद्धति और क्षतिपूर्ति का आधार आरएफसीटीएलआरआर अधिनियम 2013 की धाराओं 26, 27, 29, 30 और पहली अनुसूची के अनुसार होगा।

भूमि और संरचनाओं और वृक्षों की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्यांकन की पद्धति

- **भूमि का मूल्यांकन**
  - भूमि का मूल्यांकन आरएफटीसीएलएआरआर 2013 (धारा 26, 27, 28, 29, 30) के संबंध में राज्य नियमों के अनुसार किया जाता है। भूमि का क्षतिपूर्ति मूल्य सर्कल दर से दो गुना होता है और उसके ऊपर 100 प्रतिशत सांत्वना धनराशि दी जाती है। जिला प्रशासन द्वारा विचारित दरें अद्यतन सर्कल दरों के अनुसार होंगी।
- **संरचना का मूल्यांकन**
  - संरचनाओं का मूल्यांकन दरों की आधारभूत अनुसूची या बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स (पीडब्ल्यूडी) (अंतिम अद्यतनीकृत) के अनुसार किया जाता है और संरचनाओं का मूल्यांकन मूल्य ह्रास के बगैर, 100 प्रतिशत सांत्वना राशि लेते हुए किया जाता है।
- **वृक्षों का मूल्यांकन**
  - आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 29 में प्रयोज्य नियमों के अधीन एक मूल्यांकन समिति, जिसमें इमारती लकड़ी के वृक्षों के लिए वन विभाग का और फल/फूल देने वाले वृक्षों के लिए बागवानी विभाग (जिला प्रशासन) का प्रतिनिधित्व होता है, वृक्षों के मूल्यांकन और गणना के लिए उत्तरदायी है।

4.2.5 संवितरण प्रक्रिया

एक बार जब आरऐंडआर योजना उपयुक्त सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तब जिला प्रशासन भूमि, वृक्ष और संरचनाएं गंवाने वाले स्वामित्वधारियों को प्रभावित क्षेत्र में शिविर लगाने के माध्यम से नोटिस जारी करता है। आर्थिक सहायता और मुआवजे का वितरण शिविरों में या जिला प्रशासन के कार्यालय में हो सकता है, जहां पीएएफ के दस्तावेजों की जांच की जाती है और आर्थिक सहायताएं तथा मुआवजे की धनराशि चेक के रूप में जमा की जाती है या व्यक्ति के खाते में जमा की जाती है। एक बार जब सभी मौद्रिक वितरण पूर्णतः संपन्न हो जाते हैं तब कलेक्टर को जमीन का कब्जा लेना होगा और आरएफटीसीएलएआरआर की धारा 37 के अनुसार जनसंख्या का विस्थापन होने से पहले पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर उत्तरदायी होगा।

4.2.6 पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण

आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची में प्रदत्त आधारभूत सुविधाओं के साथ पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण और विकास सुनिश्चित करने के लिए भी कलेक्टर उत्तरदायी होगा। पुनर्वास स्थलों की पहचान करने में प्रभावित परिवारों के साथ आवश्यक सलाह-मशविरा करने के लिए जिला प्रशासन उत्तरदायी है। स्थल पर विकसित पुनर्वास कॉलोनी में ऐसे आवास होंगे जो आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किये गए होंगे। आवास की दी जाने वाली डिजाइन में एक शयन कक्ष, एक लिविंग रूम, रसोईघर और शौचालय सह स्नानघर (इंदिरा आवास योजना के विनिर्देश) शामिल होंगे। प्रत्येक आवास का कुल फर्श क्षेत्र 50 वर्ग मीटर के भीतर होगा। यह पीडब्ल्यूडी (भवन) द्वारा विकसित डिजाइन विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किया जायेगा। जिला स्तर पर पीडब्ल्यूडी, भवन अनुभाग निर्माण योजना और कॉलोनी का खाका बनाता है। निर्माण जिला प्रशासन की सीधी देखरेख में खुली बोली की पद्धति के माध्यम से किया जाता है।

5. क्रियान्वयन प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं

आरएपी (RAP) का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के लाइन (राजस्व) विभागों के साथ क्रियान्वयन एजेंसी (आईडब्ल्यूएआई IWAI) की जिम्मेदारी है। एसआईएमपी/आरएपी (SIMP/RAP) के समग्र समन्वय और क्रियान्वयन के लिए पीएमयू (PMU) में एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ उत्तरदायी होगा। क्षेत्र स्तर की गतिविधियों का समन्यव क्षेत्रीय कार्यालय में परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों का सामाजिक अधिकारी करेगा।

आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, साहेबगंज में अपर समाहर्ता को आरऐंडआर का 'प्रशासक' नामांकित किया गया है। जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ DLAO) नोडल अधिकारी होगा जो कार्यवाहियों को आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा। सभी एल तथा आरआर गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन के साथ संपर्क और वार्ता करने के लिए एक प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकार प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

पुनर्स्थापन कार्य योजना और सामाजिक प्रभाव उपशमन योजना के क्रियान्वयन में मुख्य व्यक्तियों की भूमिका निम्नानुसार है :

5.1. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ DLAO)

- डीएलएओ अपर समाहर्ता की ओर से आरएफटीसीएलएआरआर की धाराओं 11 तथा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं और घोषणाओं का प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
- अवार्ड तैयार करना
- प्रभावित संरचनाओं का मूल्य निर्धारण करना
- क्षतिपूर्ति धनराशियों का संवितरण
- पुनर्स्थापन के लिए भूमि की पहचान और पुनर्स्थापन कॉलोनी की निर्माण

5.2. सामाजिक विकास विशेषज्ञ

पीएमयू में सामाजिक विकास विशेषज्ञ की भूमिका में शामिल है :

- आएपी की तैयारी और समय से इसकी घोषणा सुनिश्चित करना
- आरएपी की तैयारी में परामर्श और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए और श्रम, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अंतर्गत नियोजित कार्यक्रमों के लिए आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन और निगरानी करना
- क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करना तथा प्रत्यक्ष या सीधी जानकारी के लिए क्षेत्र के दौरे करना तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श करना
- पीआईयू और आरओ/ अधिकारियों से प्राप्त किए गए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास गतिविधियों संबंधी डाटा तथा आंकड़ों को संकलित करना
- मासिक और तिमाही प्रतिवेदनों की समीक्षा करना और विश्व बैंक तथा अन्य सरकारी हितधारकों को प्रगति के बारे में सूचित करना
- भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के संबंध में पुनर्वास अधिकारी और पीआईयू को आवश्यक सहायता प्रदान करना
- आवश्यक सूचना प्रदान करने में परियोजना अधिकारी को सहायता देना

5.3. प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकारी

क्षेत्रीय निदेशालय से आईडब्ल्यूएआई का एक अधिकारी भूमि अधिग्रहण और आरआर मुद्दों के लिए विभिन्न एजेंसियों, जैसे ठेकेदार, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य विभागों के बीच स्वामित्व अधिकार के हस्तांतरण सहित एलए तथा आरआर मुद्दों पर, और पीएएफ के दस्तावेजों को एकत्र करने में सहायता प्रदान करने में समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा। यही अधिकारी सार्वजनिक सभाओं में आईडब्ल्यूएआई का प्रतिनिधित्व करेगा।

5.4. पीआईयू (PIU) में सामाजिक अधिकारी

परियोजना क्रियान्वयन इकाई में सामाजिक अधिकारी की भूमिका में शामिल है :

- पीआईयू और आरएपी क्रियान्वयन टीम की मदद से क्रियान्वयन प्रक्रिया का समन्वय करना
- आरएपी की तैयारी और क्रियान्वयन के दौरान राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय और घनिष्ट अंतर्क्रिया करना
- क्रियान्वयन के दौरान राज्य के संबंधित प्राधिकारियों के साथ निरंतर संवाद और नियमित बैठकें आयोजित करना तथा प्रभारी सह पुनर्वास अधिकारी की सहायता करना
- प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों में भागीदारी करना
- विस्थापित समुदाय के साथ आएपी के क्रियान्वयन का समन्वय करना
- क्रियान्वयन प्रक्रिया की मासिक समीक्षा और निगरानी तथा आवश्यकता हो तो सुधारात्मक उपायों को समाहित करना
- हेल्पलाइन के माध्यम से पीएपी की शिकायतें दर्ज करवाने में उनकी मदद करना
- आरएपी का क्रियान्वयन पूरा होने तथा क्रियान्वित आरएपी की तैयारी और मूल्यांकन होने तक कार्य करना।

5.5. आरएपी (RAP) क्रियान्वयन टीम

सुरक्षा उपायों और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन में और सहायता के लिए एक आरएपी क्रियान्वयन टीम या दल को जोड़ा जाएगा। भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता, आजीविका विशेषज्ञ और एमआईएस विशेषज्ञ से मिलकर बनी यह टीम प्रभावित समुदाय के साथ परामर्श, प्रभावित परिवारों का सत्यापन और सूक्ष्य योजनाएं तैयार करेगी। यह टीम जीआईएस नक्शे पर जानकारियों की जिओ-टैगिंग करने तथा जिओ-टैग की गई जानकारियों को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। इस टीम द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियों में शामिल हैं प्रत्येक व्यक्तिगत पीएएफ के लिए पहचान पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड तैयार और वितरित करना, संयुक्त बैंक खाता खुलवाना, सहायता राशि का वितरण करना, सहायता धनराशियों के उत्पादक इस्तेमाल के बारे में परामर्श देना, सहायता राशियों के उपयोग की निगरानी करना, विस्थापित घरपरिवारों के स्थान परिवर्तन की योजना बनाना, आवासों का आवंटन करना और समूची स्थान परिवर्तन प्रक्रिया का समन्वय करना। प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने, जागरूकता उत्पन्न करने, क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय करने आदि के लिए आजीविका विशेषज्ञ उत्तरदायी होगा। पूरी परियोजना के लिए क्रियान्वयन टीम के कार्य निम्नानुसार होंगे :

- प्रभावित परिवारों के साथ तथा प्रभावित परिवारों और परियोजना कर्मचारियों के बीच मेलजोल विकसित करना
- प्रभावित परिवारों का सत्यापन करना और जानकारी को जिओ टैग करना और उसे एमआईएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना
- आरएपी के क्रियान्वयन के दौरान स्थानीय समुदाय के साथ विचार-विमर्श करना
- सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना और पुनर्वास सहायता प्राप्त करने में प्रभावित परिवारों की सहायता करना

- आईडी कार्ड तैयार और वितरित करना
- मुआवजा और सहायता धनराशियों का उत्पादक इस्तेमाल करने के लिए पीएपी को प्रेरित और मार्गदर्शित करना
- स्थानीय विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करना
- विस्थापित घर-परिवारों के पुनर्स्थापन और आवासों के आवंटन की योजना बनाने में आईडब्ल्यूएआई की सहायता करना और पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया का समन्वय करना
- प्रभावित व्यक्तियों का शिकायतों को फोन लाइन या वेबसाइट पर पंजीकरण के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को भेजना
- कौशलों के स्तर का मूल्यांकन करना और प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- सामाजिक अधिकारी तथा विस्थापित समुदाय के साथ मासिक समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करना।

5.6. ठेकेदार

ठेकेदार निम्नलिखित कार्यों और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा :

1. सभी श्रम कानूनों का अनुपालन करना जिनमें बाल श्रम से संबंधित नियम, कार्य के समय का उचित निर्धारण ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
2. शिविर स्थलों पर एचआईवी/एड्स की जागरूकता में भाग लेना और सुगमता प्रदान करना
3. शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से उठाए गए प्रश्नों और मुद्दों का जवाब देना और प्रश्नों का जवाब देने में पीआईयू की सहायता करना।
4. क्षेत्रीय निदेशालय और पीआईयू के निर्देशों का पालन करना

5.7. तकनीकी परिवीक्षण सलाहकार

1. क्रियान्वयन के दौरान बाह्य निगरानी
2. क्रियान्वयन और सुरक्षा उपायों के अनुपालन में सहायता और मार्गदर्शन देना
3. आरएपी के क्रियान्वयन से जड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का दस्तावेज तैयार करना
4. आरएपी के प्रावधानों के क्रियान्वयन की दिशा में आईडब्ल्यूएआई के अधिकारियों को क्षमता निर्माण के प्रति संवेदनशील बनाना और मदद करना
5. पीआईयू के सामाजिक अधिकारियों को मासिक प्रगति और त्रैमासिक प्रक्रिया दस्तावेजीकरण रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

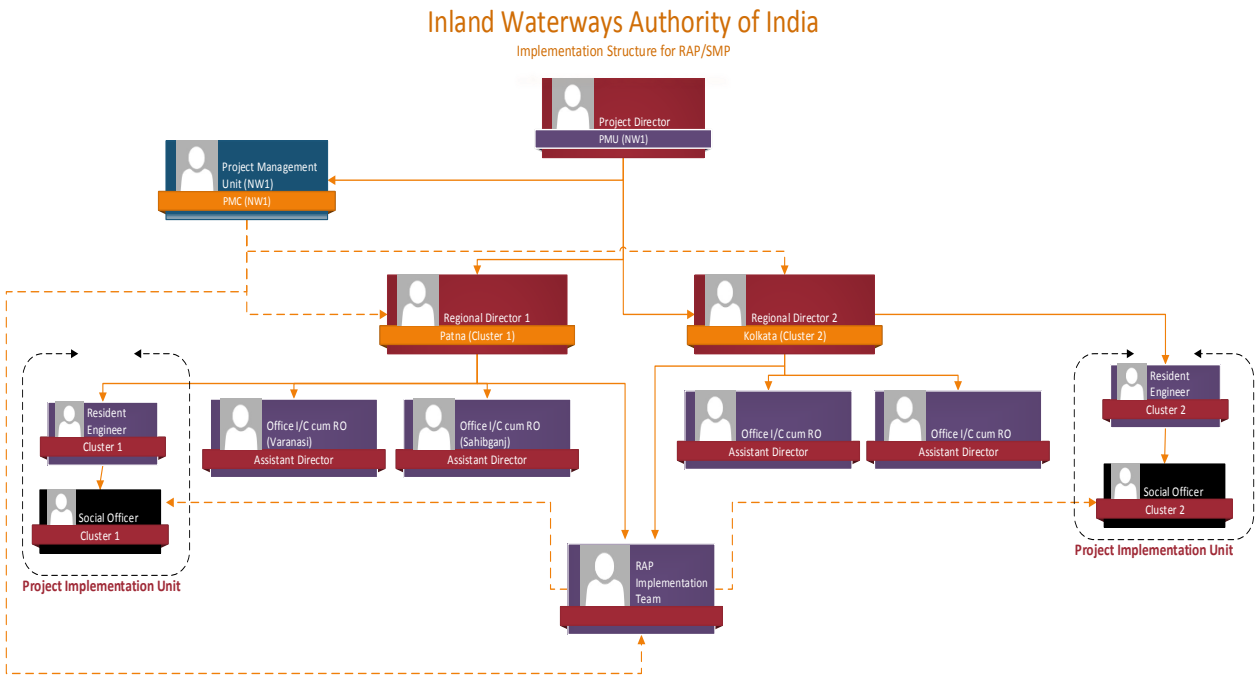

चित्र 5.1 : आरएपी के क्रियान्वयन के लिए संगठन चार्ट

6. शिकायत निवारण तंत्र

परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान मोट तौर पर परियोजना से जुड़े पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मामलों से संबंधित शिकायतें, निर्माण की वजह से होने वाले प्रभावों से संबंधित शिकायतें, परियोजना स्थलों के आसपास पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित शिकायतें आदि अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 51-67 के अनुसार एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने और क्षतिपूर्ति तथा आरऐंडआर (R&R) सहायता के संवितरण के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों में कलेक्टर की जिम्मेदारी निर्धारित करने के संदर्भ में राज्य सरकार की जिम्मेदारी निरूपित करती है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 60 निरूपित करती है कि प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को प्राप्त होते हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन से संबंधित किसी भी विवाद और शिकायत से निपटने के लिए आरऐंडआर प्राधिकरण निर्दिष्ट प्राधिकरण है। यह प्रावधान सभी उप परियोजनाओं के लिए लागू होता है जहां निजी भूमि अधिग्रहीत की जाती है।

एक केंद्रीयकृत शिकायत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जो प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी DARPG), भारत सरकार द्वारा आयोजित साझा ऑनलाइन पोर्टल है, स्थापित किया गया है और आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपनाये गये शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्यशील है। नागरिक और असंतुष्ट पक्ष आईएडब्ल्यूएआई (IWAI) और जेएमवीपी (JMVP) द्वारा निवारण किये जाने के लिए अपनी शिकायतें या व्यथा सीपीजीआरएएम (CPGRAM) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

6.1. सीपीजीआरएएम (CPGRAM) पर शिकायत दर्ज करना :

सीपीजीआरएएम (CPGRAM) की वेबसाइट (इस पते पर पहुंचा जा सकता है : www.pgportal.gov.in) पर 'जन शिकायत' ('public grievance') विकल्प में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।. शिकायत दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है।

शिकायतकर्ताओं को एक अनुस्मारक प्रपत्र भरने का विकल्प भी प्रदान किया जाता है और वे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपनी शिकायत की स्थिति खुद ही देख सकते हैं।

6.2. शिकायत पर कार्यवाही की प्रक्रिया :

एक बार जब शिकायत दर्ज करवा दी जाती है, तो डीएआरपीजी (DARPG) द्वारा शिकायत पर कार्यवाही आरंभ की जाती है और पोर्टल की अंतर्निर्मित विशेषताओं के माध्यम से संबंधित पितृ प्रशासनिक मंत्रालय (इस मामले में पोत परिवहन मंत्रालय) को सौंप दी जाती है। संबंधित मंत्रालय शिकायत को अधीनस्थ विभाग (इस मामले में आईडब्ल्यूएआई) को अग्रेषित करता है। संबंधित विभाग को समय सीमाओं के साथ ई-मेल सूचनाएं भी भेजी जाती हैं, जहां शिकायत को संबोधित करने के लिए एक नोडल अधिकारी होता है।

6.3. आईडब्ल्यूएआई (IWAI) में शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी :

एक बार जब प्रत्येक शिकायत आईडब्ल्यूएआई में प्राप्त हो जाती है, तो सचिव, आईडब्ल्यूएआई, नोडल अधिकारी, कोई भी परियोजना से संबंधित शिकायत 15 दिनों में उत्तर देने के लिए परियोजना निदेशक, जेएमवीपी को अंकित कर देते हैं। प्रत्येक शिकायत पर स्थापना विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है और शिकायत निवारण की निगरानी करने के लिए सचिव आईडब्ल्यूएआई संबंधित अधिकारी हैं।

6.4. परियोजना संबंधी शिकायतों का निपटारा :

परियोजना से संबंधित शिकायतों के मामले में सामाजिक विशेषज्ञ पीएमयू परियोजना निदेशक की ओर से शिकायतों को संबंधित क्षेत्रीय इकाई / पीआईयू को अग्रेषित करेगा। परियोजना स्थल पर निर्माण के कारण होने वाले प्रभाव से संबंधित शिकायतों का उत्तर स्थानीय या रेजीडेंट इंजीनियर, पीआईयू (पटना/कोलकाता) द्वारा दिया जाएगा और आर ऐंड आर मुद्दों से संबंधित शिकायतों को सामाजिक अधिकारी, पीआईयू (पटना/कोलकाता) द्वारा संबोधित किया जाएगा। आर ऐंड आर उपायों अथवा मुआवजे से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में सामाजिक अधिकारी आर ऐंड आर प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श करके उत्तर तैयार करेंगे। एक बार जब उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो परियोजना निदेशक शिकायत को सचिव, आईडब्ल्यूएआई को अंकित कर देंगे जो फिर उत्तर को पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। शिकायतकर्ता को सूचना ई-मेल/डाक द्वारा उसकी अपनी वरीयता के अनुसार भेजी जाएगी।

समाधान की गयी और लंबित शिकायतों के लिखित प्रमाण विशेषज्ञ, सामाजिक विकास, पीएमयू द्वारा रखे जायेंगे। प्रत्युत्तर समयों के लिए निर्धारित सेवा मानदंड के भीतर उत्तरित और सुलझायी गयी शिकायतों की संख्या (प्रतिशत) के संदर्भ में निगरानी संकेतक मासिक रिपोर्टों में प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.5. अ-समाधान की स्थिति में :

शिकायत के लंबित रहने की स्थिति में पितृ प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुस्मारक या रिमाइंडर जारी किये जायेंगे। पितृ मंत्रालय के समन्वय अनुभाग द्वारा शिकायतों पर नजर और निगरानी रखी जाएगी।

6.6. समय सीमाएं :

एक शिकायत के प्राप्त के होने के 2 माह के भीतर उसका निवारण कर दिया जाना चाहिए (डीएआरपीजी DARPG के दिशानिर्देशों के अनुसार)। यदि शिकायत को संबोधित करने में 2 महीने से अधिक समय लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में एक अंतरिम उत्तर दिया जाना है।

6.7. वर्तमान प्रणाली का विस्तार और उसे शिकायतों के फोन आधारित रजिस्ट्रेशन से जोड़ना :

पोर्टल के मौजूदा प्रावधानों को शिकायतों के फोन आधारित अभिलेखन तथा पंजीकरण से जोड़ने तथा संवर्धित करने का कार्य आईडब्ल्यूएआई द्वारा आवश्यक अनुमतियों और स्वीकृतियों के अधीन राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी NIC) के साथ विचार-विमर्श करके किया जाएगा। तंत्र का कार्य प्रवाह नीचे और विस्तार से दिया गया है।

6.8. टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का प्रक्रिया प्रवाह

एक समर्पित फोन लाइन स्थापित की जाएगी जो प्रति दिन 8 घंटे संचालित होगी। समर्पित फोन लाइन का संचालन पीएमयू स्तर पर जीआर कार्यालय करेगा और पीआईयू के सामाजिक अधिकारी प्रत्येक शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी होंगे। शिकायत निवारण तंत्र की योजना नीचे दिये गये प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार बनायी जायेगी।

चरण 1 : निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है और अधिकारी नए कॉलर के रूप में शिकायत के विवरण प्रविष्ठ करेगा।

चरण 2 : स्वतः उत्पन्न एसएमएस के माध्यम से पुष्टि भेजी जाएगी, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति की संदर्भ संख्या होगी। अपनी शिकायत पर नजर रखने में मदद के लिए शिकायतकर्ता को एक टोकन नंबर देने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

चरण 3 : प्रत्येक शिकायत के निपटारे के लिए दो नोडल अधिकारी पीआईयू अधिकारी (पटना और कोलकाता) होंगे। निम्नलिखित प्रतिनिधियों को सॉफ्टवेयर में पहुंच प्रदान की जाएगी और उन्हें निगरानी करने वाले डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि शिकायत के बढ़ने की स्थिति से निपटा जा सके।

क. सामाजिक विशेषज्ञ, पीएमयू।
ख. भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता - आरऐंडआर तथा मुआवजे से संबंधित
ग. रेजीडेंट इंजीनियर - (पटना, कोलकाता) - तकनीकी
घ. परियोजना प्रबंधक (शिकायत बढ़ने के मामले)
ङ. परियोजना निदेशक (शिकायत बढ़ने के मामले)

चरण 4 - एक बार जब शिकायत दर्ज हो जाती है, तो पीआईयू अधिकारी को शिकायत के समाधान के लिए 14 दिनों की समय सीमा के साथ एक एसएमएस सूचना प्राप्त होगी। पीआईयू अधिकारी के पास निम्नलिखित कार्रवाइयों में से चुनने का विकल्प होगा।

क) व्यू View (शिकायत देखी जाएगी)
ख) एक्शन Action (वे कार्य क्या हैं जो शिकायत के समाधान के लिए किए गए हैं)
ग) एसाइन / फॉरवर्ड Assign / forward (कार्य सौंपा या अग्रेषित किया जाएगा)
घ) एस्कैलैट Escalate (शिकायत ऊपर के अधिकारियों की ओर बढ़ा दी जाएगी)

चरण 5 – शिकायतों के प्रकार और उन्हें संभालने वाले व्यक्ति

एक बार जब पीआईयू अधिकार शिकायत के स्वरूप का निश्चित पता लगा लेता है, तो अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा :

आरऐंडआर (R&R): किसी भी पुनर्स्थापन और पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायत के मामले में भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीआईयू अधिकारी ऐसे प्रश्नों या जिज्ञासाओं को भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता को सौंपेगा और अग्रेषित करेगा।

जैसा कि एलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 51-67 में राज्य सरकार के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायत निवारण कार्यों का उल्लेख किया गया है, भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता प्रत्येक निवेदन की समीक्षा करेगा और आर ऐंड आर से संबंधित किसी भी कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों से परामर्श करके इनपुट प्रदान करेगा।

निर्माण के कारण होने वाले प्रभाव और पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा : निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं से संबंधित शिकायतों को रेजीडेंट इंजीनियर (पटना / कोलकाता) संबोधित करेंगे।

मुद्दे का समाधान करने और अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी 14 दिनों की खिड़की प्रदान की जाएगी। उत्तर नहीं दिये जाने की स्थिति में अधिकारी को लंबित कार्रवाई की याद दिलाते हुए एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे।

चरण 6 – कार्रवाई करना : जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के आधार पर की गयी कार्रवाई को फिर पीआईयू सामाजिक अधिकारी / भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता द्वारा डैशबोर्ड के एक्शन अनुभाग में भरा जाएगा।

चरण 7 – शिकायत का समाधान करना : एक बार जब शिकायत को संबोधित किया जाता है और सॉफ्टवेयर में अद्यतन सूचना डाल दी जाती है, तो शिकायत का समाधान हुआ मान लिया जाता है। इसी के अनुसार शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेज दिया जाता है। यदि किसी शिकायत का समाधान 21 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो शिकायत का निपटारा कर रहे संबंधित अधिकार से ऊपर के अधिकारी को (नीचे दिया गया जीआईएम का पदानुक्रम देखें) एक एसएमएस अलर्ट जारी किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पीआईयू अधिकारी 21 दिनों के भीतर उत्तर नहीं देता है, तो सामाजिक विशेषज्ञ, पीएमयू को एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। इससे आगे यदि सामाजिक विशेषज्ञ 21 दिनों तक उत्तर देने में असमर्थ रहता है, तो परियोजना प्रबंधक, पीएमयू को एसएमएस भेजा जाएगा और वह भी उत्तर नहीं देते हैं, तो उसे परियोजना निदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

चरण 8 – किसी भी स्तर पर शिकायत का अ-समाधान : संबंधित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की समस्याओं के कारण शिकायत के अ-समाधान की स्थिति में उपर्युक्त अधिकारी निम्नलिखित पदानुक्रम में क्रम 6 और 7 तक मुद्दे का तीव्रीकरण कर सकता है।

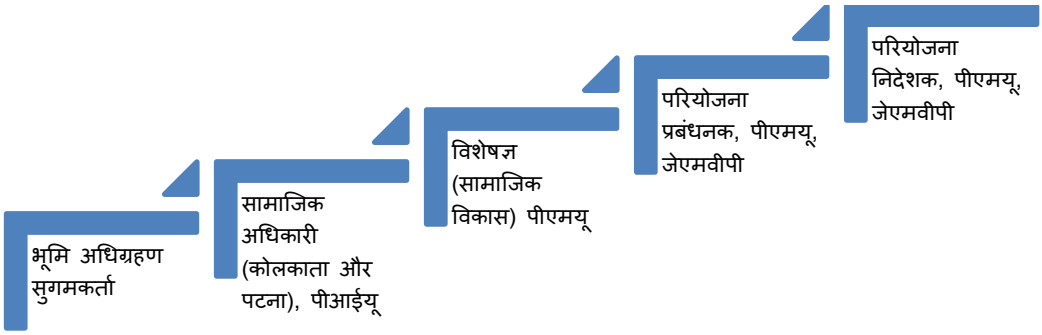

शिकायतों के तीव्रीकरण का पदानुक्रम

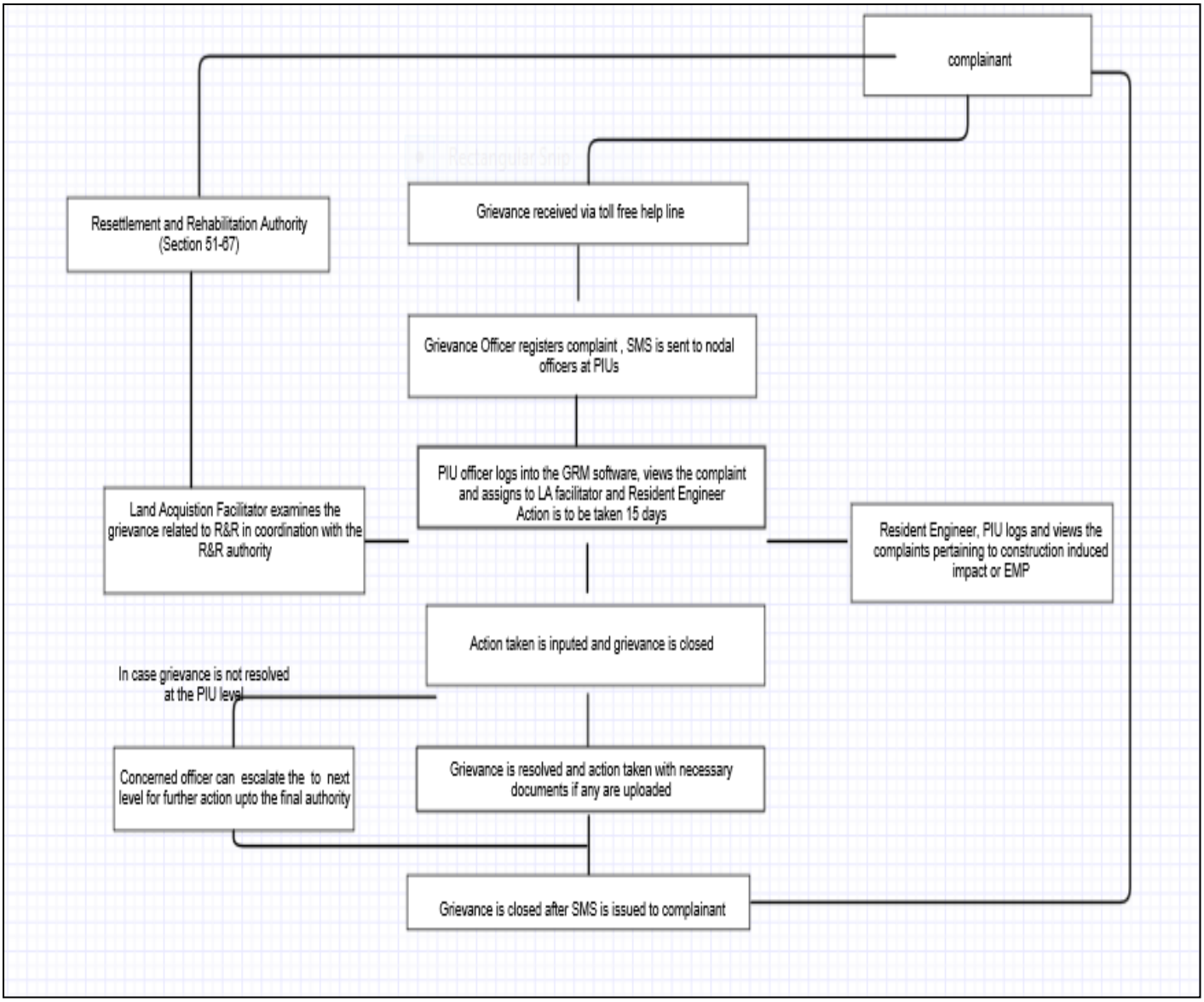

जीआरएम का प्रक्रिया प्रवाह

7. सिविल कार्यों को आरऐंडआर (R&R) के साथ मिलाना

आरएफटीसीएलएआरआर (RFTCLARR) अधिनियम 2013 के अनुपालन में किसी भी संरचना के साथ तब तक छेड़छाड़ नहीं की जायेगी जब तक कि परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ PAF) को उनकी पात्रताएं प्राप्त न हो गयी हों। तथापि सरकारी भूमि पर निर्माण गतिविधियां जिला कलेक्टर द्वारा आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात आरंभ की जा सकती हैं। पीएएफ को अपने आवास खाली करने के लिए तीन माह का नोटिस दिया जायेगा और पीएएफ को इसी के अनुरूप सूचित किया जायेगा। पुनर्स्थापन के महत्त्वपूर्ण पड़ावों के साथ एक क्रियान्वयन कार्यक्रम आरएपी (RAP) का हिस्सा होगा और जिला प्रशासन इस कार्यक्रम (नीचे दिया गया प्रारूप देखें) का घनिष्टता से अनुसरण करेगा ताकि पुनर्स्थापन गतिविधियों को निर्माण के कार्यक्रम के साथ मिलाया जा सके।

सारणी 7.1 पुनर्स्थापन योजना का नमूना कार्यक्रम

क्रम सं.	पुनर्स्थापन कार्य/गतिविधियां	समय कार्यक्रम
1	पुनर्स्थापन कॉलोनी की निर्माण की संभावित शुरुआत	
2	पीएपी को नोटिस और उनके पुनर्स्थापन के लिए परामर्श	
3	मकानों का निर्माण पूरा होना	
4	पीएपी का स्थान परिवर्तन	
5	पूर्ण कॉलोनी के निर्माण का पूरा होना और पीएपी का स्थान परिवर्तन	

8. निगरानी व्यवस्थाएं

प्रारंभ से अंत तक परियोजना चक्र की निगरानी और मूल्यांकन को निष्पादित करने के लिए आईए (IA) उत्तरदायी होगी। आंतरिक निगरानी, जिसमें प्रक्रिया निगरानी भी शामिल होगी, पीएमयू (PMU) स्तर के सामाजिक विशेषज्ञ द्वारा पीआईयू (PIU) स्तर के सामाजिक अधिकारी और आरएपी (RAP) क्रियान्वयन दल या टीम की सहायता से जाएगी और बाह्य निगरानी और मूल्यांकन तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा। परियोजना गतिविधियों की घनिष्ठ निगरानी करने में सहायता के उद्देश्य से निगरानी और मूल्यांकन को निष्पादित करने के लिए आईयू (IU) एक बाहरी एजेंसी (तीसरे पक्ष) की सेवाएं लेगी। नियमित निगरानी स्थल के दौरों के माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली संभावित कठिनाइयों और समस्याओं को पहचानने में मदद करेगी और उसके उपरांत यदि आवश्यकता हो तो समय से सुधारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगी।

आरएपी (RAP) के क्रियान्वयन के लिए स्थल पर आरएपी क्रियान्वयन टीम को जैसे ही गतिशील कर लिया जाता है, वैसे ही निगरानी प्रारंभ हो जाएगी। निगरानी के अवयवों में कार्य प्रदर्शन की निगरानी अर्थात कार्य की भौतिक प्रगति, जैसे पुनर्स्थापन स्थल पर आवासों का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, विस्थापित घर-परिवारों का पुनर्स्थापन आदि, और प्रभाव निगरानी, प्रगति निगरानी जैसे शिकायत निवारण तंत्र शामिल होंगे। कार्य प्रदर्शन से संबंधित जिन संकेतकों की निगरानी की जाएगी, वे निम्नलिखित खंड़ों में दिए गए हैं। तथापि यदि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कोई अन्य संकेतक प्रासंगिक पाए जाते हैं, तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा।

8.1. आंतरिक निगरानी

आंतरिक निगरानी के लिए आईए जिम्मेदार है जो वह नियमित आधार पर पीएमयू, पीआईयू के सामाजिक विशेषज्ञ की मदद से और परिवीक्षण सलाहकार के सुरक्षा उपाय विशेषज्ञ की सहायता से करेगा। क्रियान्वयन सलाहकारों (टीम या दल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्टों के अतिरिक्त सामाजिक अधिकारी, पीआईयू के द्वारा आंतरिक निगरानी की एक त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। आईयू जिला अधिकारियों की संवितरण या अदायगी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अपने पुनर्स्थापन डाटा आधार में सभी लेन-देन पर घनिष्ठता से निगाह रखेगा, उसके पश्चात प्रभावित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पात्रता प्राप्ति अभिलेखों का अनुसरण करेगा और पुनर्स्थापन प्रक्रिया की सर्वे आधारित निगरानी करेगा। आंतरिक निगरानी समुदाय की चिंताओं, शिकायतों और निवेदनों के बारे में फीडबैक भी प्रदान करेगी। आंतरिक निगरानी निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित और सुनिश्चित करेगी :

- सत्यापन करेगी कि जिला प्राधिकारियों द्वारा तैयार और संवितरित अवार्ड सूची के अनुसार संपत्ति के मूल्यांकन और आर्थिक पुनर्वास से जुड़े कोई लंबित या अनसुलझे मुद्दे तो नहीं हैं,
- प्रभावित व्यक्तियों के साथ सूचना अभियान, विचार-विमर्श और परामर्श,
- पुनर्स्थापन की स्थिति और आर ऐंड आर सहायता का समय से संवितरण,
- आवश्यक वास्तविक संरचना के मूल्य के बराबर अधिकार-प्राप्तियों का मूल्य,
- अधिकार-प्राप्तियों का उपयोग और उनके उपयोग की निगरानी,
- प्रभावित संरचनाओं तथा अन्य संपत्तियों के लिए मुआवजा,
- आय की हानि के लिए भुगतान,
- प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन तथा प्रदान की गई सहायताएं,

- पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार आर्थिक पुनर्वास और आय की बहाली के उपायों का क्रियान्वयन,
- शिकायत निवारण तंत्र का प्रभावी संचालन जिसमें प्राप्त शिकायतों की संख्या और निवारित शिकायतों की संख्या, निवारण में देरी के कारण, अनसुलझी शिकायतों की स्थिति के विवरण दिए गए हों,
- समयबद्ध तरीके से आर्थिक पुनर्वास के क्रियान्वयन के लिए निधियां और उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हों तथा योजना के अनुसार व्यय की गई हों।

नीचे दी गई सारणी 8.1 में आंतरिक निगरानी की रूपरेखा के विवरण दिए गए हैं और सारणी 8.2 में इन संकेतकों के विवरण हैं।

सारणी 8.1 : आंतरिक निगरानी के लिए रूपरेखा

प्रकार	संकेतक	मुद्दा	प्रक्रिया	समय	जिम्मेदारी
प्रक्रिया स्तर का निगरानी	आरएपी क्रियान्वयन	**शिकायतें** : प्रत्युत्तर समय के निर्धारित सेवा मानदंडों के भीतर प्राप्त और सुलझाई गई शिकायतों की संख्या (%) **नागरिकों को जोड़ना** परियोजना के सहकार्यों के प्रभावों पर प्रकाशित रिपोर्टें (हां/नहीं)	एमआईएस सॉफ्टवेयर द्वारा खोले और बंद मामलों और शिकायतों के प्रकार पर विश्लेषित मामलों के बारे में उत्पन्न रिपोर्टें	मासिक त्रैमासिक (नागरिकों का जुड़ाव)	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आर ऐंड आर सहायताओं के संवितरण की स्थिति (पीएपी का सत्यापन, पहचानपत्रों की तैयारी, सूक्ष्य योजनाओं की तैयारी, पुनर्स्थापित विस्थापित व्यक्तियों की संख्या, सामुदायिक जागरूकता, एचआईवी जागरूकता, परामर्श	जिला अभिलेखों का सत्यापन और परीक्षण और पीएपी के साथ विचार-विमर्श, संवितरण के संबंध में जिओ टैग की गई जानकारी साथ ही साथ जीआईएस मानचित्र पर अपलोड की जाएगी।	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

		प्रक्रिया, सहायता का वितरण आदि का क्रियान्वयन, आय संवर्धन के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का संख्या			
		स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का उपयोग, श्रम कानूनों का अनुपालन जिनमें शामिल हों (I) समान वेतन (ii) बाल श्रम से संबंधित कानूनों का उल्लंघन (iii) शिविर स्थल और निर्माण स्थल पर यौन उत्पीड़न (iv) महिलाओं के कार्य का यथोचित समय (v) दिन के देखभाल केंद्र का सुचारू कार्यकलाप (vi) स्थल पर प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता सुविधाएं	स्थल अवलोकन, रोस्टरों का परीक्षण, श्रमिकों, ठेकेदारों के साथ बातचीत	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		परामर्श और विचार-विमर्श: आजीविका संवर्धन पर आयोजित परामर्शों की संख्या और सहायताओं के प्रभावी उपयोग के लिए सलाह-मशविरा और परामर्श की गुणवत्ता, उठाए गए मुद्दों का अनुसरण,	अभिलेख और सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिलिपियां	त्रैमासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

		परामर्श में महिलाओं की बराबर भागीदारी।			
		प्रक्रिया दक्षता : नियुक्त कर्मचारियों की पर्याप्तता, जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की अदायगी में लगा समयांतराल, टकरावों या विवादों को संभालने की प्रक्रिया।	संवितरण प्रक्रिया और मुआवजे के वितरण से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आजीविका के मानकों की बहाली	अवलोकन, सर्वे, फोटोग्राफ	त्रैमासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आय सृजन या एचआईवी/एड्स इत्यादि पर संचालित प्रशिक्षणों की संख्या	स्थानीय लोगों के साथ प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य पोस्ट/केंद्र के अभिलेख और आजीविका संवर्धन पर प्रशिक्षण के कार्य में लगी प्रशिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों की चर्चा और आकलन करें	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
प्रभाव स्तर की निगरानी	घरेलू स्तर पर आय में बदलाव और आर्थिक गतिविधियों	पेशों में बदलाव,	पुनर्स्थापित पीएपी के साथ सर्वे और परामर्श	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
	सामाजिक सुरक्षा	पुनर्वास स्थलों पर सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति	पुलिस अभिलेख, पुनर्स्थापित पीएपी के साथ परामर्श, एनजीओ की प्रगति रिपोर्ट, एमऐंडई सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

9. आरऐंडआर (R&R) क्रियान्वयन की लागत और निधियन व्यवस्थाएं

9.1 निधियों के स्रोत और निधियों के प्रवाह

- पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों के उपयुक्त बजट शीर्षों में प्रत्येक वर्ष पुनर्स्थापन और पुनर्वास क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किये जायेंगे। इससे संबंधित प्रावधान जलमार्ग विकास परियोजना के लिए आवंटनों में आईएडब्ल्यूएआई (IWAI) द्वारा भी किये जायेंगे। वित्त विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिये जाने के उपरांत निधियां आईएडब्ल्यूएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण और आरऐंडआर (R&R) क्रियान्वयन की लागत को पूरा करने के लिए हस्तांतरित कर दी जायेंगी।
- आरएफटीसीएलएआरआर (RFTCLARR) अधिनियम 2013 की धारा 3 (जेडबी zb) के अनुसार आईडब्ल्यूएआई (IWAI) भूमि अधिग्रहण के लिए 'आवश्यकता वाला निकाय' है।
- आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, आरऐंडआर योजना की तैयारी तथा लागत अनुमान, संवितरण, निगरानी आदि के लिए 'प्रशासक' राज्य सरकार है।
- उपर्युक्त अधिनियम की धाराओं 26,27, 28,29, 30, 31,32 और पहली, दूसरी तथा तीसरी अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार संवितरण के लिए धन जमा करने का मांगपत्र आईडब्ल्यूएआई को भेजेगी।
- ऐसा एक मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत इस मांगपत्र की जांच और सत्यापन किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित राज्य सरकार से रूपांतरित करवाया जायेगा और राज्य सरकार को निर्दिष्ट खाते में भुगतान कर दिया जायेगा। उसके पश्चात यह 'प्रशासक' की जिम्मेदारी है कि वह धनराशियों को परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच संवितरित करे।
- परियोजना प्रबंधन इकाई समय से और उपयुक्त संवितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखेगी।
- यदि भूमि किसी अन्य शासकीय प्राधिकरण से क्रय की जाती है, तो भूमि का मूल्यांकन विद्यमान सर्कल दरों पर किया जाता है और भूमि स्वामित्व अधिकार परिवर्तन के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। लागत को आईडब्ल्यूएआई को किये गये निधि आवंटनों से पूरा किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण और आरऐंडआर (R&R) से संबंधित सभी लागतों को आईडब्ल्यूएआई द्वारा वहन किया जायेगा।

9.2 परियोजना के लिए क्रियान्वयन लागत अनुमान

आरएपी (RAP) के क्रियान्वयन के उद्देश्य से भूमि क्रय तथा अधिग्रहीत करने, सांस्थानिक व्यवस्थाओं को संवर्धित करने और आरएपी (RAP) में महिला विकास कार्य योजना तथा श्रम स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुभाग में संकेत किये गये उपशमन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए कतिपय लागतों का अनुमान किया गया है। एसएमपी (सामाजिक प्रबंधन योजना SMP) के लागत शीर्षों में महिला विकास कार्य योजना, एचआईवी जागरूकता और आईईसी (IEC) सामग्री में विनिर्दिष्ट अवयवों को क्रियान्वित करने के प्रावधान शामिल हैं।

घटक या अवयव वार लागत अनुमान नीचे संकेतित किये गये हैं। उन्हें परियोजना की लागतों में भी समाहित किया गया है :

क्रम संख्या	अवयव या घटक	अनुमानित लागत करोड़ रुपये में	टिप्पणी
I.	भूमि अधिग्रहण		
a.	वाराणसी में एमएमटी MMT (संबद्ध सुविधाएं शामिल)		

	एलए (LA) की लागत	10	
	आरऐंडआर (R&R) की लागत	0.02	
	महिला विकास कार्य योजना और एचआईवी जागरूकता की लागत	0.03	
b.	साहेबगंज में एमएमटी MMT (संबद्ध सुविधाएं शामिल)		
	एलए (LA) की लागत	187 (आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आरऐंडआर R&R शामिल)	78.91 हेक्टेयर के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत और स्थायी वित्त समिति द्वारा स्वीकृत मांग की लागत पर आधारित
	आरऐंडआर (R&R) की लागत		
c.	हल्दिया में मल्टीमोडल टर्मिनल		
	एलए LA की लागत (हस्तांतर)	44.98	
	एसएमपी (SMP) की लागत	0.02	
	महिला विकास कार्य योजना और एचआईवी जागरूकता की लागत	0.03	
d.	फरक्का में नया नौवहन बांध या लॉक		
	एलए LA की लागत	2.35	
	एसएमपी (SMP) की लागत	0.02	
	महिला विकास कार्य योजना और एचआईवी जागरूकता की लागत	0.03	
e.	कालूघाट और गाजीपुर तथा कल्याणी में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल		
		15.10	भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और राज्य सरकार के सामने मांग नहीं रखी गयी है
f.	5 रो-रो टर्मिनल जोड़े		
		15.10	स्थलों और भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और राज्य सरकार के सामने मांग नहीं रखी गयी है
	भूमि अधिग्रहण और एसएमपी (SMP) के लिए कुल लागत	274.68 करोड़	
II	आरएपी (RAP) क्रियान्वयन सहायता कंसल्टेंसियों / टीम	1.00	एमआईएस (MIS)/ बाह्य लेखा परीक्षण/ जीआरएम (GRM) का संवर्धन/ एलए (LA) सुगमकर्ता

			की सेवाएं, एमआईएस (MIS) विशेषज्ञ और आजीविका विशेषज्ञ तथा आईईसी (IEC) की छोटी-मोटी लागतें शामिल हैं
	I, II का योग	275.68	

10. नागरिक विनियाजन तंत्र

10.1. फीडबैक या प्रतिपुष्टि तंत्र

वर्तमान में फीडबैक या प्रतिपुष्टि एक मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट (जिस पर इस पते पर पहुंचा जा सकता है : http://iwai.nic.in/)। इस मॉड्यूल पर विकल्पों या ऑप्शंस के माध्यम से फीडबैक (उत्तर मांगना) और सुझाव देने के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। प्राप्त फीडबैक को निगरानी वर्तमान में आईडब्ल्यूएआई के ईडीपी प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है और मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त प्रतिपुष्टि पर कार्यवाही के लिए सचिव, आईडब्ल्यूएआई नोडल अधिकारी हैं।

जेएमवीपी (JMVP) के लिए एक पृथक वेबसाइट की योजना बनायी जा रही है जिस पर विभिन्न रिपोर्ट, समाचार और अद्यतन जानकारी तथा विभिन्न उप परियोजनाओं की स्थिति सुलभ हो सकेगी। नागरिक निविदाओं, सहमति पत्रों, प्रयुक्त परामर्शदाता संस्थाओं आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण सूचनाएं देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, हितधारकों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के विवरण और मुख्य बातें इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। एक अलग फीडबैक मॉड्यूल भी वेबसाइट पर मौजूद होगा जिसमें प्रश्नों और टिप्पणियों के लिए विकल्प होंगे तथा इस प्रकार फीडबैक या प्रतिपुष्टि की निगरानी पीएमयू की संचार टीम करेगी।

इसके अतिरिक्त, यह परियोजना समूचे परियोजना चक्र के दौरान परामर्श और विचार-विमर्शों के माध्यम से व्यापकतर हितधारकों को साथ जोड़ने का प्रस्ताव करती है, जो निम्नानुसार है :

10.2. परामर्श के लिए योजना

जन परामर्श तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।

- परियोजना की तैयारी
- परियोजना का क्रियान्वयन
- क्रियान्वयन पश्चात

परियोजना विस्थापित और कमजोर तथा संवेदनशील लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मजबूती देने के लिए निरंतर जुड़ाव और परामर्श के माध्यम से जिला प्रशासन तथा अन्य विकास एजेंसियों के साथ समन्वय कायम करेगी।

परियोजना के क्रियान्वय के दौरान हितधारकों के साथ प्रभाव संचार सुनिश्चित करने के लिए और परियोजना के परिणामों को बढ़ाने के लिए परियोजना निम्न रणनीतियां अपनाएगी।

- सकारात्मक जन व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभावित परिवारों को अन्य विकास एजेंसियों के साथ जोड़ने के लिए संचार और परामर्श की सुगमता प्रदान की जाएगी, विशेष रूप से उन विकास एजेंसियों के साथ जो कौशल विकास और आजीविका उत्सर्जन से संबंधित हैं, ताकि प्रभावित परिवारों के साथ लगातार जुड़े रहकर उनकी कौशल की जरूरतों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
- निर्माण से प्रेरित प्रभावों से संबंधित जागरूकता अभियान परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान नियमित गतिविधियां होंगे।

परामर्शों को लिखा जाएगा और रिपोर्टें आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। परियोजना के सहकार्यों के प्रभावों पर प्रकाशित रिपोर्ट निगरानी संकेतक का काम करेंगी।

नागरिकों के साथ जुड़ाव के लिए परामर्श और विचार-विमर्श की विस्तृत कार्य योजना के विवरण नीचे दी गयी सारणी में प्रस्तुत हैं :

हितधारक का प्रकार	समय-सीमाएं	जोड़ने की पद्धतियां और थीम
परियोजना प्रभावित परिवार **महिलाएं, कमजोर समूह तथा जमीन और अन्य किसी आजीविका का स्रोत गंवाने वाले प्रभावित परिवार**	**आर ऐंड आर संवितरण के दौरान :** आजीविका के बारे में सलाह-मशविरे के लिए एफडीजी (प्रत्येक महीने में एक बार)	आजीविका विशेषज्ञ प्रभावित व्यक्तियों के एक समान समूहों के साथ मासिक सलाह-मशविरे के सत्र आयोजित करेंगे और उनके कौशल की जरूरतों की पहचान करेंगे तथा साथ ही उन्हें आजीविका के विकल्पों के बारे में सलाह देंगे। इस समूह चर्चाओं के दौरान निकटतम कौशल विकास केंद्र की जानकारी, इन केंद्रों में नाम लिखवाने के बारे में जानकारी आदि दी जा सकती है।
परियोजना प्रभावित परिवार	**स्थान परिवर्तन के दौरान** : 3 महीनों के भीतर 2 बार	स्थान परिवर्तन के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों को सुचारू ढंग से पुनर्स्थापन कॉलोनियों में बसाने की सुगमता के लिए एफजीडी आयोजित की जाएंगी। सलाह-मशविरे का उद्देश्य पीएएफ को कल्याण संघ बनाने और स्थान परिवर्तन के दौरान आने वाली विभिन्न चिंताओं तथा समस्याओं को समझने और उनके समाधान की रणनीतियां खोजने के बारे में सलाह देना होगा। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर शिविरों के आयोजन तथा लोगों को जुटाने में पंचायत प्रमुखों को शामिल किया जाएगा।
परियोजना स्थलों के आसपास मछुआरों के समुदाय	**क्रियान्वयन चरण के दौरान प्रभावों का आकलन :** 6 माह परिचालन चरण के दौरान : संवेदनशील स्थलों पर जलयान यातायात और प्रबंधन रणनीतियां	मछली पकड़ने पर हो सकने वाले प्रभावों को समझने और उनका आकलन करने तथा संभव उपशमन रणनीतियों पर चर्चा के लिए एफजीडी आयोजित की जाएंगी। परिचालन चरण के दौरान : नौकाओं के परिवहन की जानकारी प्रसारित करने और नौवहन जलवाहिकाओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए परामर्शों की योजना बनायी जाएगी।
नौका संचालन/जलयान मालिक/गाद निकालने वाले	प्रत्येक 6 माह	बाजार की बढ़ी हुई प्रतिक्रिया के लिए रणनीतियां बनाने और परियोजना तथा सुरक्षा प्रावधानों से परिचित करवाने के लिए जलयान माल प्रेषकों, नौका मालिकों और गाद निकालने वालों के साथ परामर्श और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें परिचालन में उनकी कठिनाइयों को समझा जाएगा तथा उन कठिनाइयों को संबोधित करने में सांस्थानिक क्षमता का आकलन भी किया जाएगा।
एनजीओ और नाको (NACO) के साथ सूचीबद्ध एनजीओ	प्रत्येक 6 माह	प्रभावित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए प्रमुख एनजीओ के साथ विचार-विमर्श। सूचीबद्ध एनजीओ के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य

		और स्वच्छता के संवर्धित अवसर और एचआईवी के बारे में जागरूकता का प्रसार। निर्माण स्थलों पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए एनएसीओ के साथ सूचीबद्ध एनजीओ को आमंत्रित किया जाएगा।
नियोजित सुविधाओं के आसपास रहने वाले समुदाय	प्रत्येक 6 माह	स्थानीय जरूरतों के प्रति परियोजना की प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए और यह समझने के लिए कि सामुदायिक जरूरतों को सबसे अच्छे ढंग से कैसे पूरा किया जा सकता है, स्थानीय पंचायत कार्यालयों की सहायता से विचार-विमर्शों का आयोजन किया जाएगा।

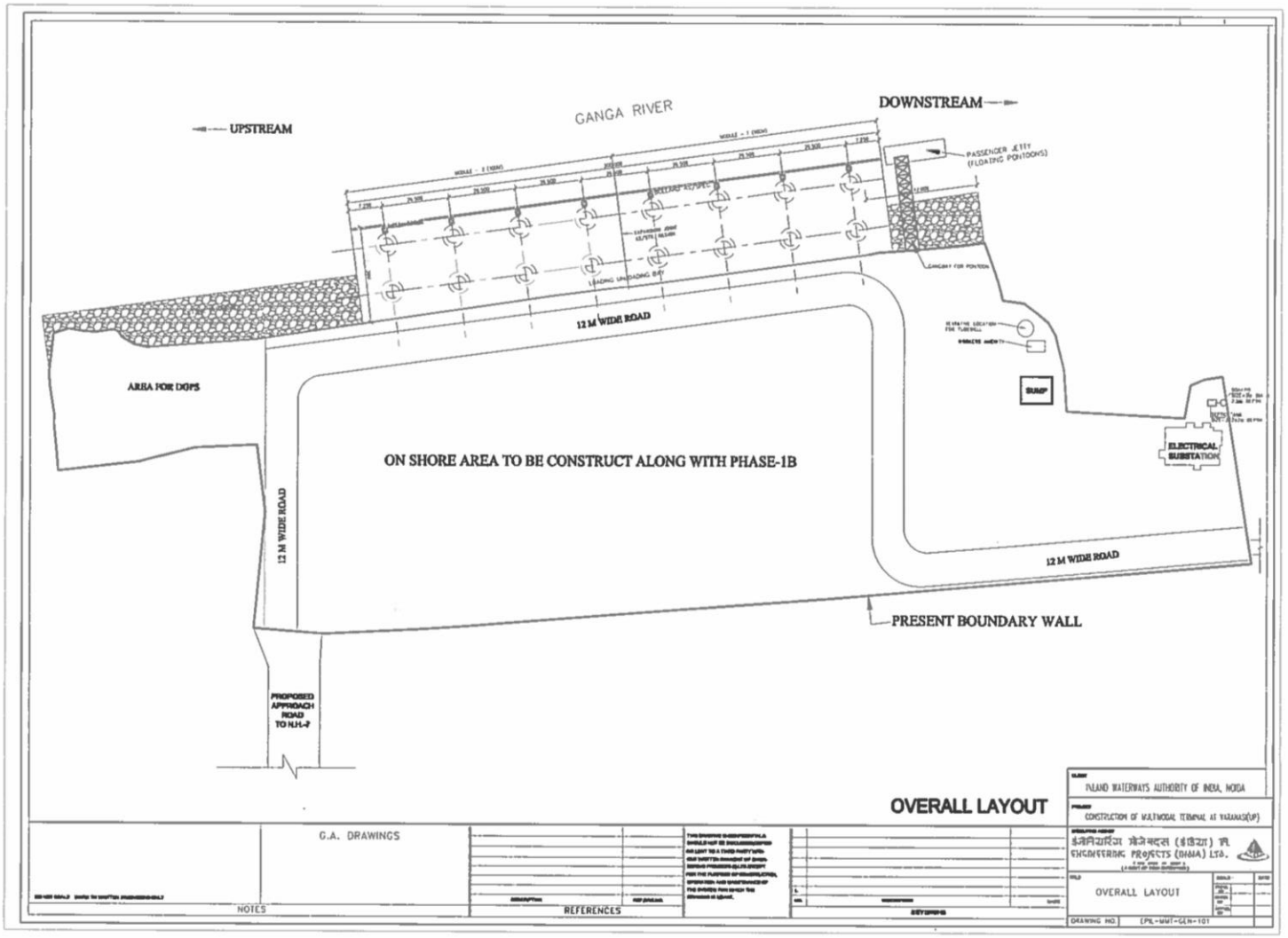
UPSTREAM
GANGA RIVER
DOWNSTREAM
PASSENGER JETTY (FLOATING PONTOONS)
LOADING UNLOADING BAY
12 M WIDE ROAD
AREA FOR DOPS
SUMP
ELECTRICAL SUBSTATION
ON SHORE AREA TO BE CONSTRUCT ALONG WITH PHASE-1B
12 M WIDE ROAD
12 M WIDE ROAD
PRESENT BOUNDARY WALL
PROPOSED APPROACH ROAD TO N.H.-7
OVERALL LAYOUT
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA, NOIDA
CONSTRUCTION OF MULTIMODAL TERMINAL AT VARANASI(UP)
ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LTD.
OVERALL LAYOUT
G.A. DRAWINGS
NOTES
REFERENCES
REVISIONS
DRAWING NO. EPL-MMT-GLN-101

अनुलग्नक - ए (A) : वाराणसी, साहेबगंज, हल्दिया और फरक्का के डिजाइन

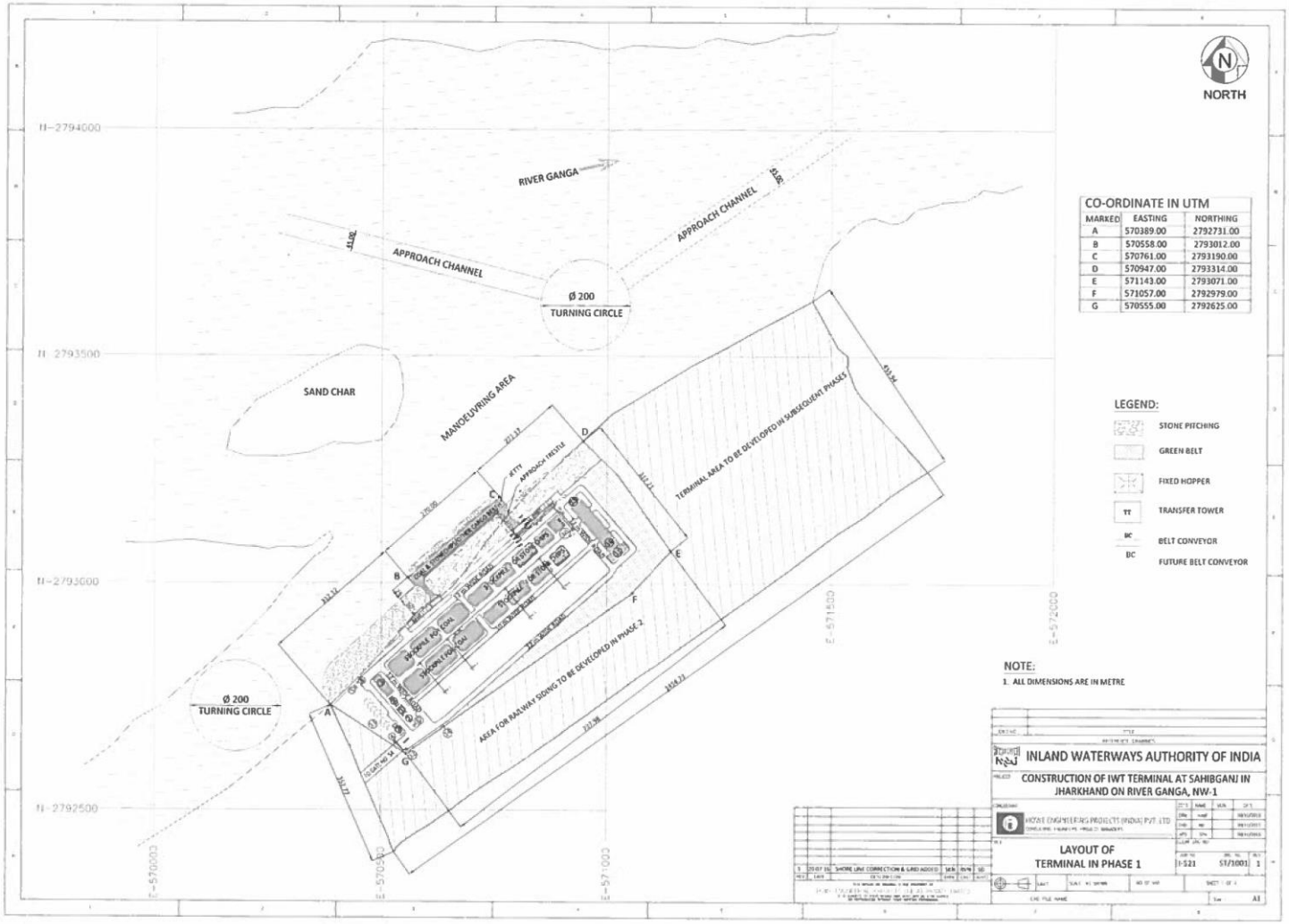
NORTH
RIVER GANGA
APPROACH CHANNEL
APPROACH CHANNEL
Ø 200
TURNING CIRCLE
SAND CHAR
MANOEUVRING AREA
TERMINAL AREA TO BE DEVELOPED IN SUBSEQUENT PHASES
AREA FOR RAILWAY SIDING TO BE DEVELOPED IN PHASE 2
Ø 200
TURNING CIRCLE
N-2794000
N-2793500
N-2793000
N-2792500
E-570000
E-570500
E-571000
E-571500
E-572000
CO-ORDINATE IN UTM
MARKED EASTING NORTHING
A 570389.00 2792731.00
B 570558.00 2793012.00
C 570761.00 2793190.00
D 570947.00 2793314.00
E 571143.00 2793071.00
F 571057.00 2792979.00
G 570555.00 2792625.00
LEGEND:
STONE PITCHING
GREEN BELT
FIXED HOPPER
TRANSFER TOWER
BELT CONVEYOR
FUTURE BELT CONVEYOR
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METRE
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
CONSTRUCTION OF IWT TERMINAL AT SAHIBGANJ IN JHARKHAND ON RIVER GANGA, NW-1
LAYOUT OF
TERMINAL IN PHASE 1

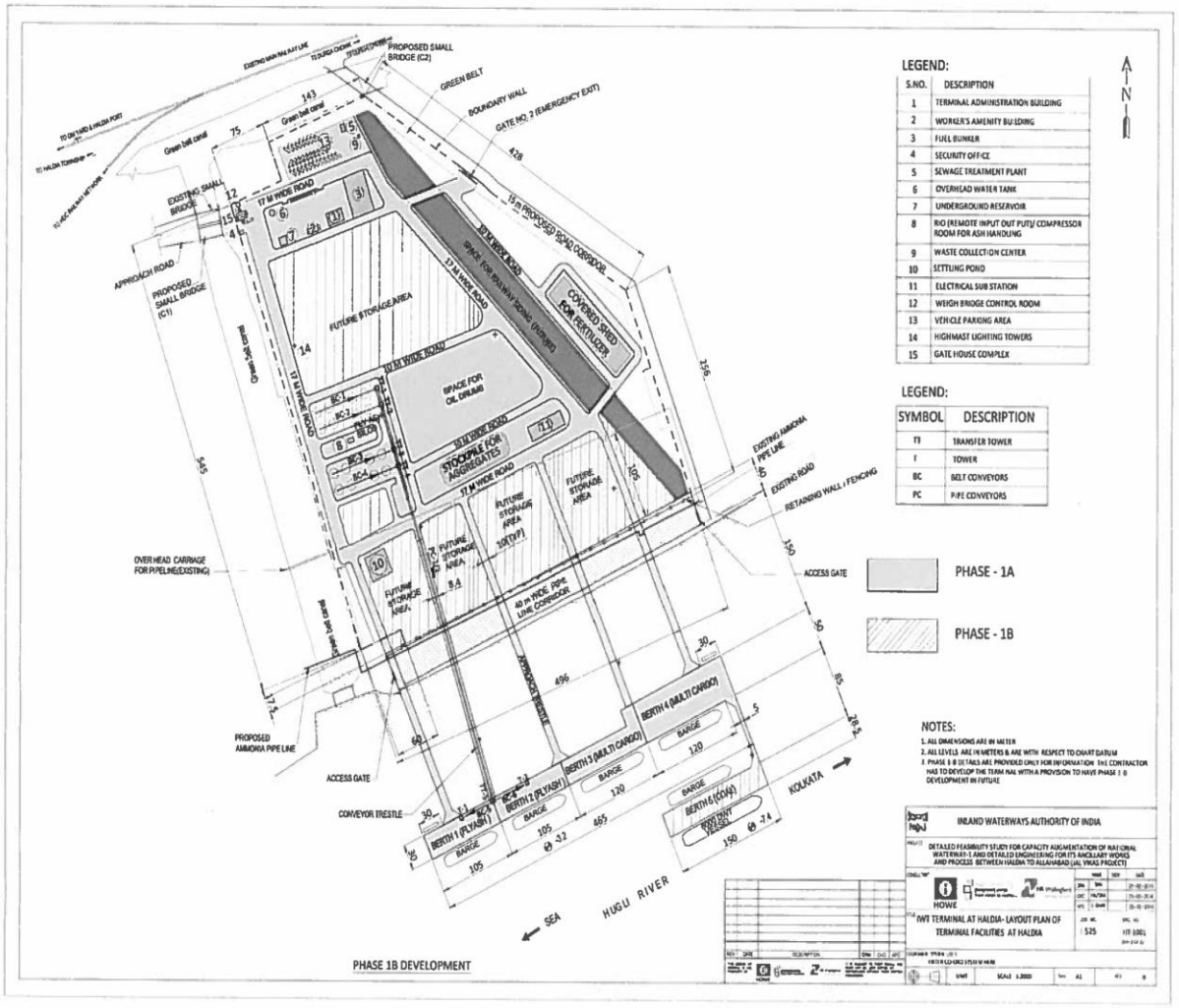
LEGEND:
S.NO. DESCRIPTION
1 TERMINAL ADMINISTRATION BUILDING
2 WORKER'S AMENITY BUILDING
3 FUEL BUNKER
4 SECURITY OFFICE
5 SEWAGE TREATMENT PLANT
6 OVERHEAD WATER TANK
7 UNDERGROUND RESERVOIR
8 RIO (REMOTE INPUT OUT PUT)/ COMPRESSOR ROOM FOR ASH HANDLING
9 WASTE COLLECTION CENTER
10 SETTLING POND
11 ELECTRICAL SUB STATION
12 WEIGH BRIDGE CONTROL ROOM
13 VEHICLE PARKING AREA
14 HIGHMAST LIGHTING TOWERS
15 GATE HOUSE COMPLEX
LEGEND:
SYMBOL DESCRIPTION
TT TRANSFER TOWER
T TOWER
BC BELT CONVEYORS
PC PIPE CONVEYORS
PHASE - 1A
PHASE - 1B
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER
2. ALL LEVELS ARE IN METERS & ARE WITH RESPECT TO CHART DATUM
3. PHASE 1 B DETAILS ARE PROVIDED ONLY FOR INFORMATION THE CONTRACTOR HAS TO DEVELOP THE TERMINAL WITH A PROVISION TO HAVE PHASE 1 B DEVELOPMENT IN FUTURE
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
DETAILED FEASIBILITY STUDY FOR CAPACITY AUGMENTATION OF NATIONAL WATERWAY-1 AND DETAILED ENGINEERING FOR ITS ANCILLARY WORKS AND PROCESS BETWEEN HALDIA TO ALLAHABAD (JAL VIKAS PROJECT)
HOWE
IWT TERMINAL AT HALDIA- LAYOUT PLAN OF TERMINAL FACILITIES AT HALDIA
525
PHASE 1B DEVELOPMENT
HUGLI RIVER
SEA
KOLKATA
BERTH 1 (PLYWOOD)
BERTH 2 (PLYWOOD)
BERTH 3 (MULTI CARGO)
BERTH 4 (MULTI CARGO)
BERTH 6 (COAL)
BARGE
CONVEYOR TRESTLE
ACCESS GATE
PROPOSED AMMONIA PIPE LINE
OVER HEAD CARRIAGE FOR PIPELINE(EXISTING)
APPROACH ROAD
PROPOSED SMALL BRIDGE (C1)
EXISTING SMALL BRIDGE
PROPOSED SMALL BRIDGE (C2)
GREEN BELT
BOUNDARY WALL
GATE NO. 2 (EMERGENCY EXIT)
17 M WIDE ROAD
10 M WIDE ROAD
FUTURE STORAGE AREA
SPACE FOR OIL DRUMS
STOCKPILE FOR AGGREGATES
COVERED SHED FOR FORTH LOOR
40 m WIDE PIPE LINE CORRIDOR
EXISTING AMMONIA PIPE LINE
EXISTING ROAD
RETAINING WALL / FENCING

BH-2
BH-5
BH-6
BH-7
BH-8
BH-9
BH-10
BH-11
AREA
AREA
44709.7051

अनुलग्नक बी (B) : आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची

THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 30 (*2*)]

COMPENSATION FOR LAND OWNERS

The following components shall constitute the minimum compensation package to be given to those whose land is acquired and to tenants referred to in clause (*c*) of section 3 in a proportion to be decided by the appropriate Government.

Serial No.	Component of compensation package in respect of land acquired under the Act	Manner of determination of value	Date of determination of value
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Market value of land	To be determined as provided under section 26.	
2.	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of rural areas	1.00 (One) to 2.00 (Two) based on the distance of project from urban area, as may be notified by the appropriate Government.	
3.	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of urban areas	1 (One).	
4.	Value of assets attached to land or building	To be determined as provided under section 29.	
5.	Solatium	Equivalent to one hundred per cent. of the market value of land mentioned against serial number 1 multiplied by the factor specified against serial number 2 for rural areas or serial number 3 for urban areas plus value of assets attached to land or building against serial number 4 under column (2).	
6.	Final award in rural areas	Market value of land mentioned against serial number 1 multiplied by the factor specified against serial number 2 plus value of assets attached to land or building mentioned against serial number 4 under column (2) plus solatium mentioned against serial number 5 under column (2).	
7.	Final award in urban areas	Market value of land mentioned against serial number 1 multiplied by the factor specified against serial number 3 plus value of assets attached to land or building	

(1)	(2)	(3)	(4)
		mentioned against serial number 4 under column (2) plus solatium mentioned against serial number 5 under column (2).	
8.	Other component, if any, to be included		

NOTE.—The date on which values mentioned under column (2) are determined should be indicated under column (4) against each serial number.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* sections 31 (*1*), 38 (*1*) and 105 (*3*)]

ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES (BOTH LAND OWNERS AND THE FAMILIES WHOSE LIVELIHOOD IS PRIMARILY DEPENDENT ON LAND ACQUIRED) IN ADDITION TO THOSE PROVIDED IN THE FIRST SCHEDULE.

Serial No.	Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements	Entitlement/provision	Whether provided or not (if provided, details to be given)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provision of housing units in case of displacement	(1) If a house is lost in rural areas, a constructed house shall be provided as per the Indira Awas Yojana specifications. If a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which will be not less than 50 sq mts in plinth area. (2) The benefits listed above shall also be extended to any affected family which is without homestead land and which has been residing in the area continuously for a period of not less than three years preceding the date of notification of the affected area and which has been involuntarily displaced from such area: Provided that any such family in urban areas which opts not to take the house offered, shall get a one-time financial assistance for house construction, which shall not be less than one lakh fifty thousand rupees: Provided further that if any affected family in rural areas so prefers, the equivalent cost of the house may be offered in lieu of the constructed house: Provided also that no family affected by acquisition shall be given more than one house under the provisions of this Act.	

(1)	(2)	(3)	(4)
		Explanation.—The houses in urban areas may, if necessary, be provided in multi-storied building complexes.	
2.	Land for Land	In the case of irrigation project, as far as possible and in lieu of compensation to be paid for land acquired, each affected family owning agricultural land in the affected area and whose land has been acquired or lost, or who has, as a consequence of the acquisition or loss of land, been reduced to the status of a marginal farmer or landless, shall be allotted, in the name of each person included in the records of rights with regard to the affected family, a minimum of one acre of land in the command area of the project for which the land is acquired: Provided that in every project those persons losing land and belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes will be provided land equivalent to land acquired or two and a one-half acres, whichever is lower.	
3.	Offer for Developed Land	In case the land is acquired for urbanisation purposes, twenty per cent. of the developed land will be reserved and offered to land owning project affected families, in proportion to the area of their land acquired and at a price equal to the cost of acquisition and the cost of development: Provided that in case the land owning project affected family wishes to avail of this offer, an equivalent amount will be deducted from the land acquisition compensation package payable to it.	
4.	Choice of Annuity or Employment	The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options:	

(1)	(2)	(3)	(4)
		(a) where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being in force, to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required; or (b) one time payment of five lakhs rupees per affected family; or (c) annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers.	
5.	Subsistence grant for displaced families for a period of one year	Each affected family which is displaced from the land acquired shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for a period of one year from the date of award. In addition to this amount, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes displaced from Scheduled Areas shall receive an amount equivalent to fifty thousand rupees. In cases of displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve the economic opportunities, language, culture and community life of the tribal communities.	
6.	Transportation cost for displaced families	Each affected family which is displaced shall get a one-time financial assistance of fifty thousand rupees as transportation cost for shifting of the family, building materials, belongings and cattle.	

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Cattle shed/petty shops cost	Each affected family having cattle or having a petty shop shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification, specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees for construction of cattle shed or petty shop as the case may be.	
8.	One-time grant to artisan, small traders and certain others	Each affected family of an artisan, small trader or self-employed person or an affected family which owned non-agricultural land or commercial, industrial or institutional structure in the affected area, and which has been involuntarily displaced from the affected area due to land acquisition, shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification. specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees.	
9.	Fishing rights	In cases of irrigation or hydel projects, the affected families may be allowed fishing rights in the reservoirs, in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.	
10.	One-time Resettlement Allowance	Each affected family shall be given a one-time "Resettlement Allowance" of fifty thousand rupees only.	
11.	Stamp duty and registration fee	(1) The stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the Requiring Body. (2) The land for house allotted to the affected families shall be free from all encumbrances. (3) The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected family.	

THE THIRD SCHEDULE

[*See* sections 32, 38(*1*) and 105(*3*)]

PROVISION OF INFRASTRUCTURAL AMENITIES

For resettlement of populations, the following infrastructural facilities and basic minimum amenities are to be provided at the cost of the Requisitioning Authority to ensure that the resettled population in the new village or colony can secure for themselves a reasonable standard of community life and can attempt to minimise the trauma involved in displacement.

A reasonably habitable and planned settlement would have, as a minimum, the following facilities and resources, as appropriate:

Serial No.	Component of infrastructure amenities provided/proposed to be provided by the acquirer of land	Details of infrastructure amenities provided by the acquirer of land
(1)	(2)	(3)
1.	Roads within the resettled villages and an all-weather road link to the nearest pucca road, passages and easement rights for all the resettled families be adequately arranged.	
2.	Proper drainage as well as sanitation plans executed before physical resettlement.	
3.	One or more assured sources of safe drinking water for each family as per the norms prescribed by the Government of India.	
4.	Provision of drinking water for cattle.	
5.	Grazing land as per proportion acceptable in the State.	
6.	A reasonable number of Fair Price Shops.	
7.	Panchayat Ghars, as appropriate.	
8.	Village level Post Offices, as appropriate, with facilities for opening saving accounts.	
9.	Appropriate seed-cum-fertilizer storage facility if needed.	
10.	Efforts must be made to provide basic irrigation facilities to the agricultural land allocated to the resettled families if not from the irrigation project, then by developing a cooperative or under some Government scheme or special assistance.	
11.	All new villages established for resettlement of the displaced persons shall be provided with suitable transport facility which must include public transport facilities through local bus services with the nearby growth centres/urban localities.	
12.	Burial or cremation ground, depending on the caste-communities at the site and their practices.	
13.	Facilities for sanitation, including individual toilet points.	

(1)	(2)	(3)
14.	Individual single electric connections (or connection through non-conventional sources of energy like solar energy), for each household and for public lighting.	
15.	Anganwadi's providing child and mother supplemental nutritional services.	
16.	School as per the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);	
17.	Sub-health centre within two kilometres range.	
18.	Primary Health Centre as prescribed by the Government of India.	
19.	Playground for children.	
20.	One community centre for every hundred families.	
21.	Places of worship and chowpal/tree platform for every fifty families for community assembly, of numbers and dimensions consonant with the affected area.	
22.	Separate land must be earmarked for traditional tribal institutions.	
23.	The forest dweller families must be provided, where possible, with their forest rights on non-timber forest produce and common property resources, if available close to the new place of settlement and, in case any such family can continue their access or entry to such forest or common property in the area close to the place of eviction, they must continue to enjoy their earlier rights to the aforesaid sources of livelihood.	
24.	Appropriate security arrangements must be provided for the settlement, if needed.	
25.	Veterinary service centre as per norms.	

NOTE.— Details of each component of infrastructural amenities mentioned under column (2) against serial numbers 1 to 25 should be indicated by the acquirer of land under column (3).

THE FOURTH SCHEDULE

(*See* section 105)

LIST OF ENACTMENTS REGULATING LAND ACQUISITION AND REHABILITATION AND RESETTLEMENT

1. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958).
2. The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).
3. The Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948).
4. The Indian Tramways Act, 1886 (11 of 1886).
5. The Land Acquisition (Mines) Act, 1885 (18 of 1885).
6. The Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).
7. The National Highways Act, 1956 (48 of 1956).
8. The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).
9. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).
10. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (60 of 1948).
11. The Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act, 1957 (20 of 1957).
12. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
13. The Railways Act, 1989 (24 of 1989).

P.K. MALHOTRA,
Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013.

GMGIPMRND—2896GI(S4)—27-09-2013.